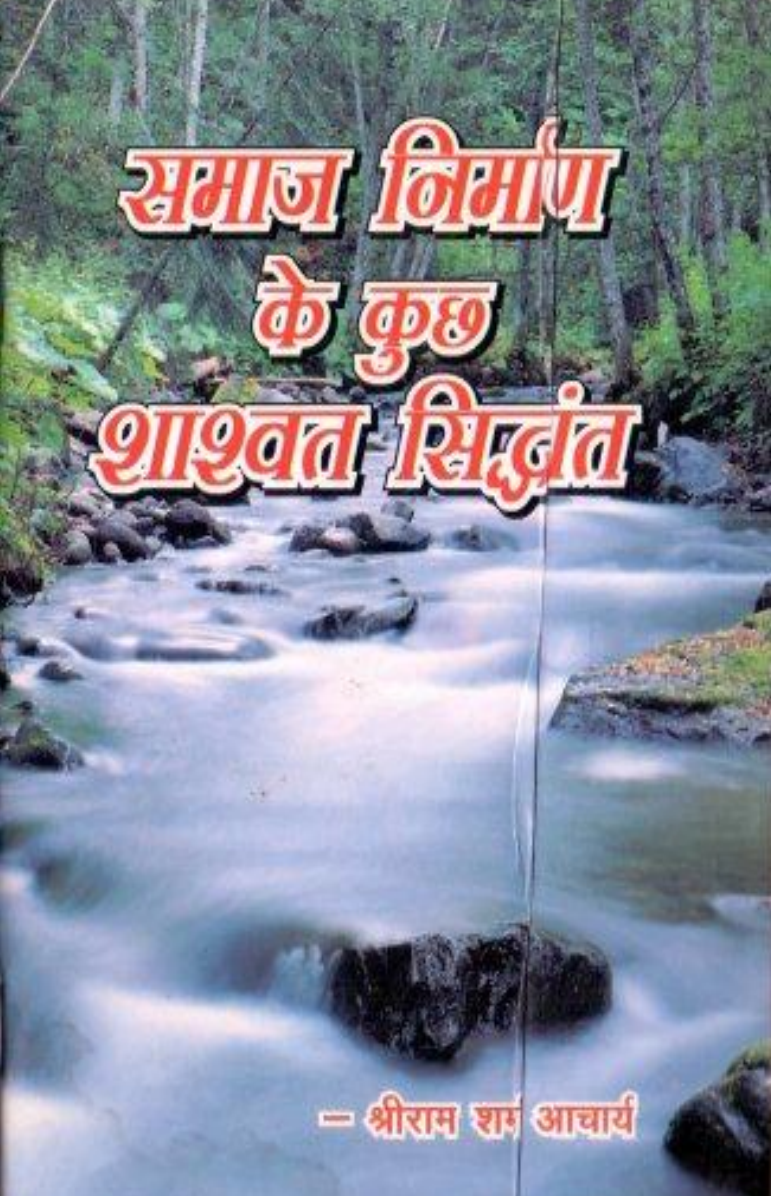
समाज निर्माण
के कुछ
शाश्वत सिद्धांत
— श्रीराम शर्मा आचार्य

समाज निर्माण के कुछ शाश्वत सिद्धांत

लेखक :
पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९
मो. : ०९९२७०८६२८९, ०९९२७०८६२८७
फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१० मूल्य : १२.०० रुपये

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

लेखक :
पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

पुनरावृत्ति सन् २०१०

मुद्रक :
युग निर्माण योजना प्रेस,
गायत्री तपोभूमि, मथुरा

देश की प्रगति का आधार ग्रामीण विकास

अंधानुकरण करना एक बात है और प्रगति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप दूरदर्शी योजना बनाकर चलना सर्वथा दूसरी। किस व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति कैसे हुई, कौन राष्ट्र कैसे समृद्ध बना, उनके अध्ययन विश्लेषण से उपयोगी प्रेरणाएँ ली जा सकती हैं। साथ ही मूलभूत विशेषताओं, प्रामाणिकता आदि को अपनाकर प्रगतिपथ पर अग्रसर हो सकना संभव है। पर यह सोचना दूरदर्शिता युक्त है कि किसी राष्ट्र विशेष की योजनाओं का अंधानुकरण करके अभीष्ट उद्देश्य की आपूर्ति हो सकती है। कारण स्पष्ट है कि हर देश की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। उनकी समस्याएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि एक देश जिन योजनाओं तथा कार्य-प्रणाली को अपनाकर समृद्ध बना है, दूसरा भी ठीक उसी पद्धति का अनुकरण कर भौतिक दृष्टि से संपन्न बन जाए।

उदाहरणार्थ व्यापक औद्योगीकरण से यूरोप तथा एशिया के कितने ही देशों ने अपनी समृद्धि बढ़ाई है। विशालकाय उद्योगों से संपन्न देशों की प्रदूषणजन्य एवं यांत्रिक जीवन की हानियों को नजर-अंदाज कर दिया जाए तो इतना तो कहना ही पड़ेगा कि वे एकाकी भौतिक सफलताएँ अर्जित करने में सफल रहे हैं। जापान, फ्रांस, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, इंगलैंड, कनाडा आदि देशों में विशालकाय औद्योगीकरण सफल रहा है, पर यह सफलता मात्र अस्थिर समृद्धि बढ़ने तक ही परिसीमित है। सर्वांगीण विकास की बात तो उनके लिए भी अभी लाखों मील दूर है, तो भी भौतिक सफलताओं के लिए इन देशों ने जिस कर्मनिष्ठा, श्रमशीलता का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय

तथा अनुकरणीय है। इन देशों में कुल राष्ट्रीय वार्षिक आय का एक बड़ा भाग उद्योगों से प्राप्त होता है। कृषि का प्रतिशत एक-चौथाई से भी कम है।

अपने देश की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, यह देश कृषि प्रधान है। अस्सी प्रतिशत व्यक्ति देहातों में निवास करते हैं, जिनमें से साठ प्रतिशत की आजीविका का साधन कृषि है। देश की कुल वार्षिक आय का पचास प्रतिशत भाग कृषि से आता है। पचास प्रतिशत में उद्योग, परिवहन आदि सभी सम्मिलित हैं। दुर्भाग्यवश आय के प्रमुख स्रोत कृषि जैसे प्रमुख तंत्र की अधिक उपेक्षा हो रही है। महात्मा गांधी इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे कि भारत की तीन-चौथाई आबादी सात लाख गाँवों में बिखरी हुई है। उसके विकास का प्रमुख माध्यम ग्रामोत्थान-कृषि तथा कृषि से जुड़े छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हो सकते हैं। पश्चिमी औद्योगीकरण का प्रभाव देश पर भी हावी हुआ तो प्रगति में बाधक सिद्ध होगा। कृषितंत्र के आधुनिकीकरण तथा ग्रामोद्योगों के प्रचलन पर उन्होंने जोर दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को आंदोलित किया। सामयिक प्रतिक्रियाएँ भी हुईं तथा कितने ही सुशिक्षित प्रबुद्धों ने देश की प्रगति के लिए ग्रामोत्थान के कार्यक्रमों में अपनी आस्था व्यक्त की। स्वतंत्रता आंदोलन की भाँति ही ग्रामोत्थान को अपना प्रमुख लक्ष्य माना तथा पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य में लगे रहे। जे. सी. कुमारप्पा, डी. आर. गैडगिल, विनोबा, धीरेंद्र मजूमदार आदि ने तो इस कार्य में अपना जीवन ही खपा दिया। पर यह आवेश कुछ सीमित व्यक्तियों तक, सीमित समय तक रहा। इसके बावजूद भी आश्चर्यजनक परिणाम निकले। यह सोचा जाने लगा कि यदि भारत के गाँव पिछड़ जाएँगे तो सारा देश पिछड़ जाएगा, क्योंकि ८० प्रतिशत आबादी इन गाँवों में केंद्रित है जिनके विकास का अर्थ होगा-देश का विकास। यह तभी संभव है जब आधुनिक सुविकसित तकनीक एवं उनसे संबद्ध तकनीशियन ग्रामीण जीवन की समस्याओं से जुड़ें तथा उनके समाधान के लिए भावभरा प्रयास करें।

इस संदर्भ में चीन का उदाहरण देना अप्रासंगिक नहीं होगा। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला यह देश अब प्रमुख पाँच शक्तियों में गिना जाने लगा है। विश्व आबादी का कुल बीस प्रतिशत अकेले चीन में केंद्रित है। जबकि संपूर्ण विश्व की केवल आठ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि चीन में है। फिर भी बिना किसी बाह्य सहायता के उसने जनजीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर ली है।

बिना विशालकाय उद्योगों की स्थापना के यह कैसे संभव हो सका ? यह जानना उपयोगी है। चीन की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। भारत की भाँति यह भी कृषि प्रधान देश है। तीन-चौथाई से भी अधिक लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। कृषि एवं उससे संबद्ध छोटे कुटीर उद्योगों के संयुक्त सहयोग पर ही चीन की समूची अर्थव्यवस्था आधारित है। प्रबुद्ध वर्ग के सुशिक्षित युवा विशेषज्ञों का इस कार्य में विशेष सहयोग प्राप्त है। चीन के शानतुंग प्रांत की येश्येन काउंटी के अंतर्गत शीयाओ कम्यून है। चालीस हजार की आबादी वाले उस कम्यून में तीन हजार से भी अधिक लोग वैज्ञानिक प्रयोग-परीक्षण कार्य कृषि तंत्र को अधिक समुन्नत बनाने के लिए कर रहे हैं। इस कम्यून की विशेषता यह है कि उसमें बुजुर्ग किसान एवं सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ युवा विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो अपने अध्ययन कार्य के साथ-साथ उत्पादक श्रम को वैज्ञानिक प्रयोगों से मिलाने तथा उसे कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का सतत प्रयास करते रहते हैं।

ये विशेषज्ञ बीजों का सुधार करने, वनस्पतियों में लगने वाले रोगों की रोकथाम करने मौसम का निरीक्षण-परीक्षण करने तथा कृषि से जुड़े विविध प्रकार के छोटे कुटीर उद्योगों का विकास करने जैसे अनेकों शोध कार्यों में लगे हुए हैं। विभिन्न कम्यूनों में अनुभवी बुजुर्ग किसानों के साथ युवा तकनीशियनों को कार्य करते चीन में स्थान-स्थान पर देखा जा सकता है। पिछले कुछ दशकों का परिणाम है कि

चीन की कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता साठ प्रतिशत बढ़ी है तथा दैनंदिन जीवन की वस्तुओं की उत्पादकता १८० प्रतिशत। इस तरह विशालकाय उद्योगों की स्थापना से दूर रहते हुए भी कृषितंत्र के समुचित विकास तथा छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना से चीन ने आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है।

दूसरी ओर भारत में जहाँ कि कृषि एवं उद्योग का मिला-जुला तंत्र है। प्राकृतिक अनुकूलताएँ भी अधिक हैं तो भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। विकास कार्यक्रमों का गाँवों में निवास करने वालों को विशेष लाभ नहीं मिल सका है। कृषि जैसे समृद्धि बढ़ाने वाले प्रमुख स्रोत की ओर प्रबुद्ध वर्ग की, युवा विशेषज्ञों की विशेष अभिरुचि नहीं दीखती। एक मनोवैज्ञानिक धारणा सुशिक्षितों के मन में यह भी बनी हुई है कि कृषि जैसा कार्य, छोटा है तथा ऑफिसों में नौकरी करना बड़प्पन का परिचायक है। फलस्वरूप देखा यह जाता है कि गाँवों में रहने वाले युवक जब सुशिक्षित होकर कॉलेजों से निकलते हैं तो शहरों की ओर भागते और बाबूगीरी की नौकरी की माँग करते हैं। चाहते तो ग्रामीण परिस्थितियों में ही अपनी शिक्षा का नियोजन करके आजीविका के कितने ही छोटे-मोटे स्रोत कुटीर उद्योगों के माध्यमों से कृषि कार्य के साथ-साथ निकाल सकते थे। इससे उनकी तो आजीविका चलती ही, पर गाँवों की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता।

जब चीन जैसा सर्वाधिक आबादी वाला देश कृषि कार्यों एवं छोटे-छोटे उद्योगों में अपनी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके प्रगति की ओर द्रुतगति से बढ़ सकता है, तो कोई कारण नहीं कि विशेषज्ञों का सहयोग मिल सके तो भारतीय कृषितंत्र उपेक्षा की गर्त में पड़ा रहे।

शिक्षा का अभाव भी अवगति का एक कारण होता है। निरक्षरता का अनुपात देहाती क्षेत्र में सर्वाधिक है। अस्सी प्रतिशत ग्रामीण आज भी अशिक्षित हैं। प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार ग्रामीण साक्षरता विस्तार में

विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। पिछली जनगणना के अनुसार अपने देश में ७० प्रतिशत से भी अधिक लोग निरक्षर थे। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित करने तथा माध्यमिक शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था करने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। यद्यपि गाँवों में और शहरों में भी सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फिर भी जितने जाते हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि लोगों में शिक्षा के प्रति पहले की अपेक्षा रुचि बढ़ी है। किंतु इतने मात्र से ही अशिक्षा या निरक्षरता के निवारण की ओर से निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि शिक्षा मात्र बालकों या किशोरों के लिए ही आवश्यक नहीं है, वह प्रौढ़ों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है और इस समय प्रौढ़ अशिक्षितों की संख्या स्कूल न जाने वाले बच्चों से भी अधिक है।

अत: अशिक्षित प्रौढ़ों में पढ़ने-लिखने और शिक्षा प्राप्त करने की अभिरुचि जगानी आवश्यक है। उनकी यह कहकर उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उनकी पढ़ने-लिखने की आयु नहीं रही। ऐसे अगणित उदाहरण हैं जिनने साठ वर्ष की आयु के बाद पढ़ना आरंभ किया और वे उच्चकोटि के विद्वान बनकर अपने अर्जित ज्ञान से समाज की महती सेवा करने में सफल हुए। इस दृष्टि से निरक्षर वृद्ध व्यक्तियों को भी साक्षर बनाने का प्रयास किया जा सकता है और जिनकी आयु अभी तीस-चालीस वर्ष है, उन्हें तो अभी भी कम से कम बीस-तीस साल और काम करना है। उन्हें शिक्षित बनाने पर तो और भी अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इस वय के वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि वास्तव में आज की अनेक समस्याओं से तो उन्हें ही जूझना है। जो बच्चे अभी दस-पंद्रह वर्ष के हैं, वे पंद्रह-बीस वर्ष बाद ही इस योग्य हो सकेंगे कि समाज में अपना कोई स्थान बना सकें और अपनी परिपक्व बुद्धि से कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकें जबकि इन दिनों परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि

इन्हीं दिनों संसार के भाग्य का निर्माण होना है। प्रत्यक्ष और परोक्ष जगत में जो कुछ हलचलें इन दिनों गतिशील हैं, वे इन्हीं दिनों इधर या उधर का निपटारा कर देंगी। संसार जिस तेजी से दौड़ रहा है, उसे देखते हुए यह मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि अगले बीस-पच्चीस वर्षों में ही वह अपने जीवन और मरण का प्रश्न निपटा लेगा। अस्तु, इन दिनों जो कुछ भी महत्त्वपूर्ण होना है, किया या कराया जाना है, उनमें उन्हीं लोगों की प्रमुख भूमिका रहेगी जो इन दिनों वयस्क हैं, प्रौढ़ हैं, सक्रिय और समर्थ हैं।

नई पीढ़ी अगले बीस-पच्चीस वर्षों में जाकर समर्थ और सक्रिय हो सकेगी। तब तक तो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत कुछ संपन्न हो चुकेगी। उस स्थिति में नई पीढ़ी अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त उत्तरदायित्वों का वहन करेगी इसलिए भी वर्तमान पीढ़ी को इतना सुयोग्य बनाया जाना आवश्यक है कि वह परिवर्तन की इस वेला में अपनी भूमिका समुचित रूप से निभा सके। परिवर्तन की घड़ियाँ इन दिनों इतनी व्यग्र हैं कि नई पीढ़ी के परिपक्व होने तक रुकी नहीं रह सकतीं। स्थिति की विषमता को समझना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि एक-एक पल कितना भारी पड़ रहा है? महामारी फैलने पर जिसमें जितनी योग्यता होती है और जिसके पास जितने साधन होते हैं, वह उतनी ही योग्यता और साधनों को लेकर विपत्ति से निबटने के लिए जुट पड़ता है। इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि आज की स्थिति में नई पीढ़ी का इंतजार करते रहना क्या उचित है? स्पष्ट ही उत्तर नहीं में मिलेगा और यही आवश्यक प्रतीत होगा कि जो जहाँ है, वह वहीं से आसन्न-संकट का समाधान करने के लिए तत्पर हो जाए।

प्रौढ़ शिक्षा को इसी प्रकार आज की और अभी की अनिवार्य आवश्यकता मानकर, उसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या की तरह हल करना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा का परिणाम कुछ ही समय में

सामने आ सकता है जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा का परिणाम और लाभ प्राप्त करने के लिए दस-पंद्रह वर्षों से कम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अतएव वयस्क स्त्री-पुरुष के लिए प्रौढ़ शिक्षा की योजना तत्काल बनानी चाहिए और उसे तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए।

इसके लिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को आगे आना चाहिए तथा समाज का विद्याऋण चुकाने की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों को यह प्रेरणा दी जाए कि हजार भूखों के बीच बैठकर मिष्टान्न-पकवान का आनंद लेना जिस प्रकार निंदनीय है उसी प्रकार इस देश में साढ़े सड़सठ करोड़ जनता में से ४७ करोड़ के लगभग निरक्षरों के बीच रहकर शिक्षा का, विद्या का लाभ अकेले उठाते रहना निष्ठुरता का द्योतक है। शास्त्रों में कहा गया है कि कंजूस धनवान जो अपनी संपत्ति की एक पाई दूसरों के लिए खरच नहीं करता, वह मरने के बाद गड़े हुए धन पर साँप बनकर बैठता है। उसी प्रकार विद्यादान में कृपणता बरतने वाला व्यक्ति ब्रह्मराक्षस कहलाता है और परमात्मा के दरबार में निष्ठुर कहलाता है।

शिक्षित व्यक्ति ब्रह्मराक्षस और निष्ठुरता का कलंक अपने माथे पर न लगने दें और इस कलंक से बचने के लिए विद्यादान करें, अशिक्षितों को शिक्षित बनाएँ। इसी प्रकार अशिक्षितों को समझाना चाहिए कि शिक्षा के बिना ज्ञान के नेत्र नहीं खुलते और निरक्षर व्यक्ति की गणना एक प्रकार के अंधों में ही की जाती है। जो यह सोचते हैं कि पेट भरने को मिल जाता है फिर पढ़ने से क्या लाभ ? यह तर्क देने वाले इस भ्रम में रहते हैं कि पढ़ने का अर्थ नौकरी करना है। जहाँ कहीं भी यह भ्रम हो उसे दूर किया जाना चाहिए, इस जड़ता को उखाड़ना चाहिए और समझाया जाना चाहिए कि शिक्षा अंतःचेतना को विकसित करने की प्रथम सीढ़ी है। निरक्षर व्यक्ति को संसार में विद्यमान अमृत जैसे बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। बिना कपड़े पहने, नग्न ही बाहर निकलना जितना लज्जाजनक है, अशिक्षित रहते हुए अपनी बौद्धिक नग्नता का प्रदर्शन करना उससे कम लज्जाजनक नहीं।

शिक्षितों और अशिक्षितों में यदि इस प्रकार की भावनाएँ जगाई जा सकें तो हर किसी का ध्यान प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्रित हो सकता है। फिर दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपने आप ढूँढ़ लेंगे। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा अभियान का शुभारंभ करना और उसे गति देना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर में निकटवर्ती संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक कुशलता के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षा की आवश्यकता समझते हुए भी बहुत से लोग संकोच, झिझक और लज्जा अनुभव करने के कारण आनाकानी करते हैं। इस स्थिति में उनके सम्मान की रक्षा करते हुए विनय-अनुनय और प्रेम भरे आग्रह द्वारा घुमा-फिराकर तैयार कर ही लेना चाहिए।

निरक्षरता निवारण के लिए गली-मुहल्लों में हर जगह प्रौढ़ पाठशालाएँ चलाने का उपक्रम प्रारंभ किया जाए। बड़ी उम्र के लोगों को प्रायः काम-धंधे में व्यस्त रहना पड़ता है। उन्हें काम से फुरसत पाने और भोजन आदि से निवृत्त होने में प्रायः शाम के सात-आठ बज ही जाते हैं। उसके बाद दो घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशालाएँ आसानी से चलाई जा सकती हैं। इसी तरह महिलाओं को प्रायः अपराह्न समय अवकाश मिलता है। उनके लिए भी दो-तीन घंटे की प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। यह प्रौढ़ पाठशालाएँ व्यक्तिगत रूप से भी चलाई जा सकती हैं और सामूहिक रूप से भी। शिक्षण की व्यवस्था कहाँ, कैसे बनाई जाए? यह स्थानीय स्थिति के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

निरक्षरता को देश, जाति और समाज के माथे पर लगा कलंक समझकर उसे हटाने-मिटाने के लिए हर जागरूक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। इसकी आवश्यकता और महत्त्व समझकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करे तो अपना देश शीघ्र ही उन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में पहुँच सकता है।

❐

ग्रामीणों की मनोरंजन समस्या का हल

एकरसता सभी परिस्थितियों में उबाऊ होती है। रोटियाँ तो हम रोज खाते हैं। यदि उनके साथ सब्जी रोज की रोज एक ही खाई जाए तो जल्द ही रोटी से भी मन ऊब जाए। पर सब्जी या दाल बदल-बदल कर रोटी के साथ खाई जाए तो एकरसता मिट जाती है। काम-धंधे में लगे लोगों को प्रायः एक निर्धारित दिनचर्या बितानी पड़ती है। भले ही यह अस्त-व्यस्त हो या सुव्यवस्थित, पर उसके कारण एकरसता पैदा हो जाती है। उसे तोड़ने के लिए अवकाश मनाने से लेकर पर्व-त्योहारों का आयोजन करने तक विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं।

इस एकरसता के साथ-साथ आज का जीवन भी जटिलतम होता जा रहा है। हमारी आवश्यकताएँ तो बढ़ती जाती हैं किंतु उनकी पूर्ति के साधन अपर्याप्त हैं। फलतः परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, चिंता और मानसिक तनाव बढ़ता है जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इन्हीं चिंताओं और तनावों से छुटकारा पाने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। जैसे-जैसे मनुष्य का जीवन जटिल हो रहा है, वैसे-वैसे मनोरंजन की ओर भी लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि शहरों में सिनेमागृह, थियेटर, नाचघर, होटल, पार्क आदि की संख्याएँ बढ़ती जाती हैं।

यह तो हुई शहरों की बात। गाँवों में मनोरंजन की बड़ी समस्या है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ न सिनेमागृह हैं और न थियेटर। पार्क, होटल और नाचघर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें यही नहीं मान लेना चाहिए कि मनोरंजन का इतना भर ही मतलब है। मनोरंजन के स्वस्थ साधन अन्य भी हैं, पर गाँवों में उनका भी अभाव है। ग्रामीण जनता का सामान्य जीवन देखें तो सुबह से शाम तक वह बहुत नीरस, शुष्क और थका देने वाला होता है। शारीरिक थकान तो

रात की गहरी नींद से दूर हो जाती है, पर मानसिक ताजगी और नया उत्साह तो केवल स्वस्थ मनोरंजन द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर वह सूर्योदय और सूर्यास्त, हरे-भरे मैदान और फूलों-फलों से लदे वृक्ष के तन्मय निरीक्षण के रूप में हो या बहते हुए झरने के संगीत के रूप में अथवा सहगान, संगीत, गीत, नृत्य आदि के रूप में।

ग्रामीण जनता के पास प्रकृति प्रदत्त इन मनोरंजन साधनों के उपयोग की न तो सूझ है और न दिशा। ग्रामीण स्त्रियों तथा लड़कियों के संबंध में तो स्थिति और भी विचित्र है। वे दिनभर कठिन परिश्रम करती हैं लेकिन मकान की चहारदीवारी में कैद होकर। ग्रामीण मनोरंजन की समस्या किसी छोटे-मोटे वर्ग की समस्या नहीं है, यह भारत की अस्सी प्रतिशत जनता की समस्या है जो देश भर के छह लाख गाँवों में रहती है। इतने बड़े जनसमुदाय की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें विचार करना चाहिए।

पहली बात तो यह है कि अधिकांश ग्रामीणों के लिए मनोरंजन कोई अर्थ नहीं रखता है। वह एक व्यर्थ का कार्य है। यहाँ तक कि गाँवों के बच्चे जब अपनी बालसुलभ सूझ-बूझ से उल्लास की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए खेलने-कूदने को निकल पड़ते हैं, तो माँ-बाप उन्हें डपटकर किसी काम में व्यस्त कर देते हैं। युवकों और प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए तो आपस में मिल-जुलकर बैठना भी समय गँवाना लगता है।

सर्वप्रथम तो ग्रामीणों को मनोरंजन का महत्त्व समझाया जाना चाहिए। मनोरंजन शारीरिक कुशलता, नैतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। मनोरंजन का अर्थ है-मन को विश्राम देना। कहा जा चुका है कि सोने से शारीरिक थकान तो दूर हो जाती है, पर मन उसी धार में दौड़ता रहता है जिसमें कि दिन में दौड़ रहा था। मन की यह दौड़ तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसे विश्राम न मिले। दिनभर के काम की चिंता, विचार और उधेड़-बुन रात में चलती रहती है। शरीर तो सोकर अपनी थकान दूर कर लेता है, पर मन दौड़ता ही

रहता है और परिणामस्वरूप उसकी थकान दूर होने का अवसर ही नहीं आता।

एक मनोविज्ञानवेत्ता की राय में ग्रामीण जनता में सोच-विचार के अभाव का कारण अशिक्षा उतना नहीं है जितना मन को विश्राम न मिलना। थका हुआ शरीर जिस प्रकार कोई नया काम करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार थका हुआ मन और बुद्धि किसी दिशा में सोच-विचार करने से इनकार कर देती है। यही कारण है कि गाँवों में ज्यादा अंधविश्वास, कूप-मंडूकता और संकीर्णता पाई जाती है।

इसका एक उदाहरण अशिक्षित शहरी जनता का देखा जा सकता है। उनमें अपेक्षाकृत अधिक विचारशीलता और कम अंधविश्वास होता है। इसका यही कारण है कि उपलब्ध मनोरंजन के साधनों से लाभ उठाकर वे अपने मन के तार ढीले कर लेते हैं और कुछ देर के लिए ही सही बौद्धिक तनाव से मुक्त होकर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। प्रचलित मनोरंजन के साधनों का उपयोग इतना तो लाभ पहुँचा ही देता है। उनके हानि-लाभों का हिसाब अलग है। यदि मनोरंजन रचनात्मक हो तो न केवल लाभदायक परिस्थितियाँ ही बनती हैं, वरन वह व्यक्तित्व के विकास में असाधारण रूप से सहयोगी भी होती हैं। प्रख्यात विद्वान एम. चौबे के अनुसार, "रचनात्मक मनोरंजन द्वारा हमारा व्यक्तित्व अपनी अधिक संपूर्ण अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोज निकालने के लिए विविध प्रकार के रूप धारण करता है।" उदाहरण के लिए सामान्यतः लोगों में आत्मविश्वास का अभाव रहता है। अधिकांश व्यक्ति इसी कारण असफल भी होते हैं। इसके विपरीत खेल-कूद की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ तो उनमें जीतने और सफलता प्राप्त करने से आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इन क्रिया-कलापों में जो लोग भाग लेते हैं, उनमें स्थिरता और संतुलन भी आता है तथा जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण भी स्वस्थ होता है।

इस प्रकार मनोरंजन की उपयोगिता और महत्त्व असंदिग्ध है। इसके बाद गाँवों में मनोरंजन के कौन से साधनों के उपयोग की

संभावनाएँ आसानी से साकार हो सकती हैं, यह देखना है। बेशक वहाँ सिनेमा, नाचघर, पार्क, थियेटर जैसी व्यवस्थाएँ नहीं की जा सकतीं और लंबे अनुभवों के बाद हजारों विचारशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रस्तुत क्षेत्रों में घुस पड़ने वाली व्यावसायिक प्रवृत्तियों के कारण इनसे लाभ कम और हानि ही अधिक होती है।

ये साधन और व्यवस्थाएँ महँगी भी कम नहीं हैं। अत: आसानी से उपलब्ध होने जैसे साधनों को खोजना-तलाशना चाहिए। ग्रामीण जनता की मनोरंजन की व्यवस्था और कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न आयु तथा रुचि के व्यक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक ही तरह के साधन या व्यवस्था से सभी का काम चल जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। जैसे किसी व्यक्ति को संगीत बहुत प्रिय है और किसी के लिए यह व्यर्थ ही गला फाड़ना है। किसी के लिए खेल-कूद बड़ा रस देने वाला काम है और किसी का मन ही नहीं है कि वह खेलने-कूदने में आनंद अनुभव कर सके, सबकी रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जिसकी रुचि जिस मार्ग में न हो उस पर जबरदस्ती वह काम लादना या उस दिशा में लगाना उबाऊ परिस्थितियाँ पैदा कर देगा और उससे मनोरंजन का उद्देश्य पूरा होना तो दूर रहा, उलटे परिणाम उत्पन्न होने लगेंगे।

प्रत्येक वय और प्रत्येक स्थिति के व्यक्ति को उसके उपयुक्त मनोरंजन विद्या का मार्गदर्शन करना बड़ी सूझ-बूझ का काम है। अत: उपयुक्त यही है कि संभावित सभी प्रकार के साधन बता दिए जाएँ, मनोरंजन का महत्त्व समझा दिया जाए और फिर उनसे लाभ उठाने की प्रेरणा दी जाए।

गाँवों में हर समय और आसानी से उपलब्ध होने जैसा सबसे सरल साधन है-प्रकृति का वैभव। प्रकृति की सुंदरता अनंत और अनिर्वचनीय है तथा जिनकी उसमें रुचि हो उन्हें इससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए। कहा जा सकता है कि ग्रामीणजन वैसे ही प्रकृति के निकट रहते हैं। उन्हें प्रकृति के आँचल की छाया चाहे-अनचाहे और जाने-अनजाने तो मिलती ही रहती है फिर उसके लिए अलग से समय

लगाने की क्या आवश्यकता ? प्रकृति का वातावरण निस्संदेह अपनी विशिष्टताओं से ग्रामीणजनों को लाभ पहुँचाता रहता है और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पर मानसिक जगत में तो उसका प्रभाव तभी हो पाता है जबकि उसे वहाँ तक प्रवेश करने दिया जाए। हम देखते हैं कि सड़क पर चलते समय हमारी आँखें कई दृश्यों और व्यक्तियों को देखती हैं, पर उनकी छाया क्षणभर हमारे मन-मस्तिष्क पर पड़ती है और तुरंत ही मिट जाती है। जिन लोगों को हम मन और बुद्धि की उपस्थिति में देखते हैं। उनका स्मरण-प्रभाव अधिक समय तक रहता है। प्राकृतिक सुंदरता का लाभ तभी मिल सकता है जबकि उनमें रस लिया जाए, तन्मयतापूर्वक उनका अवलोकन किया जाए। उन्हें देखकर भावनाएँ उत्पन्न हों, उन्हें देखकर आनंद की अनुभूति हो।

प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने की उन्हें रुचि हो और जिन्हें न हो वे लोग खेलकूद से भी मनोरंजन कर सकते हैं। खेलकूद में भी मानसिक क्रिया का योग होता है। यह क्रिया कुछ खेलों में तीव्र होती है और कुछ में एकदम मंद। शतरंज, ताश, गोलियाँ आदि के खेलों में उसे मंदरूप में देखा जा सकता है। उसमें उधेड़-बुन और सूझ-बूझ का इतना सूक्ष्म उपयोग होता कि अधिक समय तक यदि उनमें व्यस्त रहा जाए तो काम की सी थकान अनुभव होने लगती है। इसके विपरीत कबड्डी, खो-खो, तैराकी जैसे खेलों में शरीर भी सक्रिय होता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। इस प्रकार का सक्रिय मनोरंजन निष्क्रिय मनोरंजन की अपेक्षा अधिक ताजगी व उल्लास प्रदान करता है। इनकी प्रतिस्पर्द्धा-प्रतियोगिताओं के आयोजन प्रतियोगियों को अपना कौशल प्रदर्शित करने की प्रेरणा देते हैं।

इनके साथ ही साथ विशिष्ट शौक जिन्हें हॉबी कहा जा सकता है, भी मनोरंजन के कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। शाक-सब्जी उगाने, लकड़ी का काम करने, खिलौने बनाने, कताई-बुनाई, मधुमक्खी पालन और जानवरों के पालने के कार्य आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक हैं और मनोरंजन के लिए भी उपयोगी।

गाँवों में सिनेमा, थियेटर भले ही न बनाए जा सकें पर कलामंचों के गठन की प्रेरणा तो दी जा सकती है। कुछ लोग मिलकर कला-मंडलियाँ गठित कर लें और समय-समय पर प्रेरणाप्रद नाटक, प्रहसन, गीत, नाट्य आदि के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। जिनसे मनोरंजन के साथ-साथ सत्प्रेरणाओं के जागरण का कार्य करते हुए 'एक पंथ दो काज' वाली कहावत चरितार्थ की जा सकती है।

कलामंचीय कार्यक्रमों के साथ-साथ मिल-जुलकर बैठकर गीत-संगीत, गाने-बजाने, कथा-कहानियाँ कहने-सुनने आदि कितने ही कार्यक्रम हैं जिन्हें यदि संपन्न किया जाता रहे तो मेलजोल की भावना तो बढ़ती ही है, लोगों के व्यक्तिगत विकास की प्रेरणा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। पर्व-त्योहारों पर विचारशील लोग कुछ समय निकाल कर यदि प्रतियोगिताओं या कार्यक्रमों के आयोजन करें तो ग्रामीण जनता के लिए मनोरंजन की सुविधा न मिलने की शिकायत ही मिट जाएगी।

इस तरह से कितने ही मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रचलन ग्रामीण वातावरण में किया जा सकता है। शहरी जनता को जहाँ मनोरंजन के कारण उनके कई कुसंस्कार भी अपने अंत:करण में पालने पड़ते हैं, ग्रामीणों के लिए इस प्रकार के स्तरीय मनोरंजन में ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रचलन कौन करे और गाँव वालों को स्वस्थ मनोरंजन के महत्त्व से कौन अवगत कराए तो दृष्टि भावनाशील सेवाभावियों पर ही जा टिकती है। पर उनके जिम्मे यह कोई कठिन कार्य नहीं है। ग्रामीणों को मनोरंजन की आवश्यकता समझाते हुए वे दिशानिर्देश भर कर दें तो काफी प्रयोजन पूरा हो सकता है।

इससे मेहनतकश एवं ग्रामीण जनता और भी स्वस्थ एवं ताजगी से काम करेगी तथा नई पीढ़ी के मानसिक विकास, बौद्धिक व नैतिक विकास का पथ प्रशस्त होने में भी सहयोग मिलेगा।

❐

कृषि क्षेत्र में सहकारिता एवं दूरदर्शिता का समावेश हो

मानवी आवश्यकताओं में सर्वप्रथम उदरपूर्ति है। इसके लिए अन्न के बिना और किसी साधन पर अवलंबित नहीं रहा जा सकता है। अन्न खेतों से उपजता है। किसान खेती करते हैं। अपने निर्वाह तथा दूसरों की उदरपूर्ति के लिए उपजाते हैं। यह चक्र बहुत समय से चल रहा है और गाड़ी ज्यों-त्यों लुढ़क रही है। पर अब इस दिशा में कुछ नए ढंग से सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। सोचा जा रहा है कि खाद्यान्नों का उत्पादन अगले दिनों अधिक मात्रा में होना चाहिए।

इन दिनों जनसंख्या वृद्धि की धूम है। परिवार नियोजन आंदोलन इस दृष्टि से निराशाजनक स्थिति में रहा है। रोकथाम की तुलना में नया उत्पादन कहीं आगे निकल जाता है, फलतः आवश्यकताओं की पूर्ति होने के स्थान पर दबाव और भी बढ़ जाता है। नवोत्पादित पीढ़ियों को अन्न तो हर हालत में चाहिए ही। वर्तमान उपज कम पड़ती है। पिछले दिनों विदेशों से मँगाकर काम चला है। अब किसी प्रकार पैरों पर खड़े होने की स्थिति आई है। तो भी बार-बार पड़ने वाले दुर्भिक्षों और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उपज तो बढ़नी ही चाहिए। महँगाई से किसान का खरच भी बढ़ा है। उसकी पूर्ति उत्पादन से ही हो सकती है।

इस संदर्भ में परती जमीनों को काम में लाने और रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का, सुधरे हल, ट्रेक्टर, पंपों का प्रचलन यथासंभव बढ़ रहा है। यह विकासक्रम तो चलना ही चाहिए, पर साथ ही एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि इस क्षेत्र में सहकारिता का समावेश होना चाहिए अन्यथा सीमित साधनों वाला, सीमित जोतों वाला किसान अभीष्ट उत्पादन बढ़ा नहीं सकेगा। सभी जानते हैं कि उद्योग, कृषि, सेवा, शिक्षा, कला आदि किसी भी व्यापक आवश्यकता

की पूर्ति के लिए उसमें आवश्यक श्रमशक्ति की व्यवस्था जुड़नी चाहिए। अन्यथा छोटे प्रयत्नों से छोटे परिमाण में कम साधनों से किए गए प्रयास जीवित भर रहेंगे। प्रगति के ऊँचे स्तर पर पहुँच नहीं सकेंगे। इसलिए व्यक्तिगत प्रयासों का समर्थन करते हुए भी दूरदर्शी हर क्षेत्र में सहकारिता का समावेश कर रहे हैं ताकि लाभांश भी उत्पादनकर्त्ताओं को यथावत मिले और साथ ही उस प्रयोजन से उत्साहवर्द्धक प्रगति भी होती चले। यही बात कृषि उत्पादन के संबंध में भी लागू होती है। इसलिए सहकारी कृषि को प्रोत्साहन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। पिछले दिनों भारतीय कृषि अन्य पिछड़े देशों की तरह ही स्थिर एवं विकासहीन रही है। यह केवल जीविका का साधन रही है। कृषि और कृषक के संबंध में व्यापारिक तत्त्वों का समावेश नहीं रहा। कृषि विकास की धीमी गति का पता इस तथ्य से लगता है कि २०वीं सदी के आरंभिक अर्द्ध भाग में कृषि उत्पादन में केवल १/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि आई। न तो कृषि को नई साज-सज्जा से विभूषित किया गया, न ही कृषकों के रहन-सहन के स्तर में सुधार आ सका और न उत्पादन की नई गतिविधियों को ग्रहण करने की ओर प्रयास किया गया।

सहकारी कृषि के संबंध में गांधी जी ने काफी समय पहले ही कहा था, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम तब तक कृषि का पूरा लाभ नहीं उठा सकते जब तक सहकारी खेती नहीं करने लगेंगे।" नेहरू जी ने भी कहा था, "सहकारी कृषि भूमि समस्याओं के क्षेत्र में मौलिक समाजवादी आदर्श को भव्य पैमाने पर प्रयुक्त करने का प्रयास है।" इसी प्रकार जे. सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस भूमि सुधार समिति ने भी यही कहा है, "विभिन्न प्रकार की सहकारी पद्धतियों के बिना पारिवारिक खेतों के लिए सहकारी उन्नत कृषि तथा मूल रूप से छोटे आकार की जोतों के विषय में सहकारी संयुक्त खेती-कृषि कुशलता में प्रचुर वृद्धि नहीं की जा सकती।" संयुक्त राष्ट्र संघ

के 'रूरल प्रोग्रेस थ्रू को-ऑपरेटिव' के अनुसार, ''सहकारी कृषि अर्द्धविकसित देश की पुनर्गठित भू-व्यवस्था की प्रणाली के लिए आदर्श है, मुख्यत: वैसे देशों के लिए जो नियोजन के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं।''

सहकारी कृषि का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है, ''सहकारी कृषि पद्धति वह है जिसमें प्रत्येक कृषक का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व होता है, किंतु खेती सामूहिक रूप से की जाती है।'' योजना आयोग के अनुसार,''सहकारी कृषि अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें भूमि का एकत्रीकरण तथा संयुक्त प्रयोग होता है।'' डॉ. आटोशिलन ने भी कुछ इसी तरह का प्रतिपादन किया-''सहकारी खेती का प्रयोग प्राय: ऐसी खेती की प्रबंध-व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूमि पर संयुक्त रूप से खेती की जाती है।'' इसमें कृषक अपनी भूमि को एक साथ मिलाकर एक समिति बना लेते हैं। साथ ही भूमि पर सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार भी बना रहता है। कृषि से प्राप्त लाभांश से सुरक्षित कोष, आगामी फसलों व कार्यों में खरच होने वाली राशि को निकाल दिया जाता है और शुद्ध लाभांश को सदस्यों के भूमि के अनुपात से बाँट दिया जाता है। समिति की प्रबंध समिति के निर्देशानुसार वे संयुक्त रूप से खेती का काम करते हैं। वर्ष के अंत में कृषकों को उनके कर्म के अनुसार मजदूरी दी जाती है। समिति का कार्य कृषि के लिए आवश्यक साधनों-उपकरणों का प्रबंध करना है।

डॉ. एस. एन. अग्रवाल के अनुसार, ''जापान के छोटे खेतों में आस्ट्रेलिया व अमेरिका के बड़े खेतों की अपेक्षा दुगुना और स्विट्जरलैंड व डेनमार्क में चौगुना उत्पादन होता है।''

सहकारी कृषि के पक्ष में कहा जा सकता है कि देश के २० प्रतिशत लोगों के पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है और लगभग ४० प्रतिशत मध्यस्थ किसान ५ एकड़ भूमि के स्वामी हैं। इनमें १० प्रतिशत बड़े किसानों के पास ५० एकड़ या इससे अधिक भूमि है जो भारत की

कुल कृषि योग्य भूमि के दो-तिहाई भाग में खेती करते हैं। अधिकतर लोगों के पास अनार्थिक जोतें हैं, क्योंकि जोत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी हुई है। ऐसी स्थिति में भूमि का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए सहकारी कृषि ही एक मात्र विकल्प है।

कृषकों को सहकारी कृषि से अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसमें व्यक्तिगत नुकसान का स्थान सामूहिक रूप ग्रहण करता है, क्योंकि फसलों में नुकसान एक के ऊपर न पड़कर सभी के ऊपर पड़ता है। सहकारी खेती से व्यापक पैमाने की खेती का लाभ सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इन लाभों में सस्ती दर, पर्याप्त साख की उपलब्धि, नवीन उपकरणों का प्रयोग, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, बड़ी मात्रा में बीज एवं खाद की खरीद में मितव्ययता, कृषि-कार्य में श्रम विभाजन आदि सम्मिलित हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन-लागत में कमी आती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्तम बीज, खाद, औजार एवं सिंचाई की सुविधाओं के कारण सहकारी खेती वैज्ञानिक कृषि का प्रवेश द्वार बन जाती है। इसमें फसलों की रक्षा के कार्य भी अधिक सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं।

डॉ. ए. एम. खुसरो ने यह प्रमाणित किया है कि संयुक्त कृषि से रोजगार बढ़ता है तथा पूँजीगत साधन तेजी से बनते चलते हैं। इससे पूँजी, श्रम तथा भूमि तीनों में एक साथ वृद्धि होती है और श्रम का परिपूर्ण उपयोग भी संभव हो सकेगा।

'दी थ्योरी ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ' के लेखक प्रो. आर्थर लीविस के उल्लेख से सहकारी कृषि की उपयोगिता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इनके मतानुसार, "अल्पविकसित देशों में तीव्र कृषि प्रगति का रहस्य, कृषि प्रसार, खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयाँ तथा उचित मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था करने में छिपा हुआ है न कि विशालकाय फार्मों के आकार को बदलने में।" किंतु जहाँ फार्म का आकार भारत में अत्यंत छोटा है, कृषि विकास के दोनों तत्त्वों पर समान जोर दिया जाना चाहिए। दोनों प्रयासों का समन्वित रूप सहकारी कृषि है। जहाँ

यह फार्म के आकार को बड़ा बनाता है, वहीं दूसरी तरफ खाद, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों, उत्तम बीज तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करता है। इन सुविधाओं को व्यक्तिगत कृषक जुटाने में असमर्थ होते हैं। अतएव भारत जैसे अर्द्धविकसित देश के लिए सहकारी कृषि की सार्थकता को नकारा नहीं जा सकता है।

अस्सी प्रतिशत भारतीय जनता की जीविका का आधार कृषि है। उनके निर्वाह और वर्ष का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इस साल बारिश कैसी हुई और कैसी फसल होने की संभावना है। अस्सी प्रतिशत आबादी की खुशहाली और निर्वाहोचित उपार्जन के लिए आकाश के बादलों पर निर्भर रहना एक दु:ख की बात भी है। यदि बारिश कम हुई तो सूखे का डर, यदि आवश्यकता से अधिक पानी गिर गया तो बारिश से फसल गल जाने का डर और न जाने कितनी-कितनी कठिनतापूर्ण घड़ियों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर दो दाने के सौ दाने पैदा होते हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को अच्छी फसल के हेतु आकाश पर ही निर्भर न रहने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रचार किया गया। तभी उर्वरकों की कमी ने आ दबोचा। इस समस्या के बाद से यह अनुभव किया जाने लगा कि कृषि विकास के लिए हमें अपने देश में उपलब्ध साधनों का लाभ उठाते हुए विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

कृषि उत्पादन को सुधारने के लिए कृषि प्रबंध सुधारने की सर्वप्रथम आवश्यकता है, जो जन स्तर पर किया जाना चाहिए। अच्छे प्रबंध द्वारा खरीफ की अधिकांश फसलों से अधिकतम उपज ली जा सकती है। कृषिविशेषज्ञों का मत है कि धान की बुबाई करते समय घनी बुबाई नहीं करनी चाहिए। धान की खेती करते समय किसान अधिक पौध तैयार करने के लिए थोड़े से स्थान पर कई-कई पौधे रोप देते हैं। ऐसा करने से उस स्थान की सीमा में उपलब्ध जमीन की उर्वरा

शक्ति कई-कई पौधों में बँट जाती है फलतः प्रत्येक पौध जितने दाने दे सकती है, उतने नहीं देती। रोपाई करते समय हर छेद में एक-दो पौधे से ज्यादा न रोपे जाएँ और उनकी गहराई भी १-२ सेंटीमीटर (अधिक से अधिक एक इंच) से ज्यादा न हो। यह प्रयोग शस्यशास्त्रियों ने कई खेतों में किया है और वर्षों की खोज के बाद सफल रहा है।

कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि की प्रत्येक समस्या पर अनुसंधान किया है और उनका हल भी निकाला जा चुका है। पर मुख्य आवश्यकता उन खोजों को अपनाने की है। किस मौसम में क्या उगाएँ और क्या न उगाएँ तथा कैसे उगाएँ और कैसे न उगाएँ आदि बातों की एक वैज्ञानिक पद्धति निकाली जा चुकी है। इन निष्कर्षों के अनुसार सामान्य मौसम में भी अच्छी फसल ली जा सकती है और असामान्य मौसम में भी। एक शस्यशास्त्री के अनुसार, "शोलापुर और मोहोल में किए गए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सामान्य मौसम में इस क्षेत्र में बाजरा की फसल के बाद चना लें और मूँग की फसल लेकर रबी की ज्वार लें जबकि असामान्य मौसम में अगर जून में वर्षा न हुई हो और जुलाई में हो गई हो तो संकर बाजरा, कोई दलहन, मूँगफली और सूरजमुखी उगाने की सिफारिश की गई है।" इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक निष्कर्षों का लाभ उठाकर फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

अधिकांश किसान कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने, उनसे लाभ उठाने में हिचकिचाते हैं और अपने उन्हीं पुराने तरीकों को अपनाते रहते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि उन तरीकों से ही हमारा पेट भर जाता है तो हम क्यों इस पचड़े में पड़ें ? इस कारण के पीछे जो किसानों द्वारा बताया जाता है सुस्ती, उपेक्षा और अशिक्षा तो मूल रूप में है ही, एक बड़ा कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव भी कहा जा सकता है। कृषि न तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यवसाय है और न ही ऐसा धंधा है जिसे लखपति बनने मात्र के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। कृषि

ही क्यों अन्यान्य व्यवसाय-उद्योगों के पीछे भी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के क्रिया-कलाप और गतिविधि का प्रभाव समाज पर पड़ता है। शस्त्र उत्पादन के कार्य में लगे मजदूर और कर्मचारी यह सोचें कि यह काम हम अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं तो उनसे अच्छा काम होने की आशा नहीं रहती जितनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की जानी चाहिए। सीमा पर लड़ने वाला सैनिक यह सोचकर सेना में भरती हो कि उसे अपने बीबी बच्चों का पेट पालना है तो वह मरने के लिए क्यों सेना में भरती हो? राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम की ही भावना मुख्य रूप से सैनिक को आत्मोत्सर्ग के पथ पर अग्रसर करती है।

किसान का काम भी सुरक्षा जैसा ही महत्त्वपूर्ण समझना चाहिए क्योंकि उससे देश की आवश्यकताएँ और सुव्यवस्था सीधे रूप से जुड़ी हैं। एक-एक किसान व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति का दृष्टिकोण न रखकर राष्ट्रीय लक्ष्य रखते हुए कृषि क्षेत्र में उतरे तो उसमें यह भावना भी उठनी चाहिए कि अपने निजी पेट की ही नहीं अपने भाइयों, राष्ट्रवासियों की भूख को मिटाने की जिम्मेदारी भी उस पर है और उसे अपना तथा अपने परिवार के लोगों का पेट भरने तक ही सीमित नहीं रहना है, वरन समूचे राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने तक निरंतर श्रम एवं उत्पादन को बढ़ाते रहना है।

यह दृष्टिकोण उसके पक्ष में भी लाभदायक रहता है। अन्य क्षेत्रों में अपनाया गया त्याग-बलिदान का उदार दृष्टिकोण भौतिक दृष्टि से लाभप्रद न होते हुए भी अधिक प्रबलता से कायम रखा जाता है। उसमें अपनी भावनाओं को और अधिक व्यापक और स्वार्थों को ज्यादा विस्तृत रखने की आवश्यकता रहती है जबकि कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार, अधिक लोगों की सेवा-लाभ की अधिकता के साथ भौतिक दृष्टि से भी लाभदायक रहती है।

कृषि की पैदावार बढ़ाने के मामले में इसे भी उदासी के कारण ही हुआ मानना चाहिए कि वैसी बहुत सी चीजें जो खेती के काम आ सकती हैं व्यर्थ ही बरबाद कर दी जाती हैं या फेंक दी जाती हैं।

उदाहरण के लिए गोबर और उसके साथ फेंके जाने वाले अन्य दूसरे कूड़े-करकट को ही लें। बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं को व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष हमारे देश में ४२१५ लाख टन गोबर पैदा होता है। नगण्य स्थानों पर ही इस गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है अन्यथा तो इसे फेंक ही दिया जाता है। गोबर के रूप में पैदा होने वाले खाद्य की उर्वरा शक्ति को किसी भी रासायनिक खाद से कम नहीं कहा जा सकता। कृषि पंडितों ने इस ओर भी ध्यान दिया है। सन् १९३१ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गोबर से गैस बनाने का एक सहज और कम खरचीला तरीका खोज निकाला था, जिसमें गोबर, ईंधन और खाद दोनों के रूप से उपयोग करने योग्य हो जाता है, पर अब तक मुश्किल से सात हजार गोबर गैस प्लांट भी किसान परिवारों ने नहीं लगवाए हैं।

गोबर और मलमूत्र से मिल सकने वाले खाद की संभावना अकेले शहरों में ही १५० लाख टन है। फिलहाल ४५ लाख टन कंपोस्ट खाद ही तैयार हो रहा है। जन सामान्य को कृषि के प्रति इस उपेक्षापूर्ण रवैये को त्यागना चाहिए और वैज्ञानिक विधियों से लाभ उठाते हुए कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

उत्तेजक पदार्थों का सेवन मनुष्य में कुछ क्षणों के लिए विशेष उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, किंतु बाद में उससे शरीर में निष्क्रियता ही फैलती है। मानव शरीर जैसा ही इस धरती के शरीर में भी जीवन-स्पंदन है। जिस प्रकार शरीर के जीवाणु खाद्य को पोषक-तत्त्वों में परिवर्तित करते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य एवं प्राणिजगत के मल-मूत्र तथा पृथ्वी पर गिर जाने वाली वनस्पतियों को पृथ्वी के सूक्ष्म जीवाणु पृथ्वी पोषक-तत्त्वों में परिवर्तित करते रहते हैं। यांत्रिक कृषि पद्धति में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक इन सूक्ष्म जीवाणुओं को उत्तेजित कर उनमें विशेष हलचल उत्पन्न कर देते हैं। इससे थोड़े समय तक तो उर्वरा शक्ति बढ़ी हुई मालूम होती है, किंतु बाद में वह क्षीण हो जाती है।

अमेरिका में विचारशील लोग इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जेम्स एंड ह्वाइट ने अपनी पुस्तक 'रीप आफ द अर्थ' (धरती पर अत्याचार) में लिखा है कि अमेरिका में धरती पर किए जा रहे अत्याचारों से हजारों एकड़ भूमि रेगिस्तान बन गई है। एड्रेनवेल ने अपनी पुस्तक 'मेन आफ फील्ड्स' (खेतों के लोग) में लिखा है कि कृषकों का अनुभव है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न खाद्य-वस्तुएँ देखने में भले ही सुंदर एवं आकर्षक लगें, किंतु उनमें वैसा सत्व एवं जीवनी शक्ति नहीं है जो प्राकृतिक खाद के उत्पादनों में होती है।

अमेरिकी कृषि विभाग की भूमि संरक्षण संस्था ने सन् १९५२ में 'शेष भूमि की सुरक्षा' शीर्षक से जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें कहा गया था कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण अमेरिका में आइओवा, इलिनाय, मिसौरी, नेब्रास्का, कसारा, बृमघम आदि राज्यों की २८ करोड़ एकड़ भूमि नष्ट हो गई और ७० करोड़ एकड़ भूमि नष्ट होने ही वाली है।

'लिविंग सॉइल' पुस्तक की विदुषी लेखिका ईव बकलर ने लिखा है-मानव देह मिट्टी से ही बनी है। मिट्टी ही उसे पालती-पोसती है। इसलिए सच्चे अर्थों में यह जीवंत मिट्टी ही मनुष्य की माँ है। इस माँ पर अत्याचार कर उसे जर्जर बनाया गया तो स्वयं के पालन-पोषण का आधार भी जर्जर होता जाएगा और उसका दुष्परिणाम स्वयं को भोगना ही होगा।

मिट्टी, सेंद्रिय खाद-तत्त्व तथा माइक्रो आर्गनिज्म (अति सूक्ष्म जीवाणुओं) से बनी है। गोबर, घास, पत्तियों जैसी वस्तुओं को सड़ाने का काम ये अति सूक्ष्म जीवाणु ही करते हैं। इस सड़न से जो डी-कंपोजीशन बनता है, वही खाद-तत्त्व मिट्टी को प्राणवान बनाता है। सेंद्रिय खाद-तत्त्व जिसमें एक भाग नाइट्रोजन और दस भाग कार्बन होता है, जब फर्मेन्टेशन सड़न की प्रक्रिया से बनता है, तभी वह अधिक समर्थ होता है। रासायनिक खादों में यह सामर्थ्य वैसी नहीं

होती। वे उत्तेजक औषधियों जैसा असर करती हैं, पौष्टिक भोजन के गुण उसमें नहीं होते।

कृषि विद्या का मूल सिद्धांत यह है कि धरती से उत्पन्न वस्तुएँ उपयोग के उपरांत उसे लौटा दी जाएँ। अन्न, फल, शाक, घास आदि को मनुष्य और पशुओं द्वारा उपयोग में लाने के बाद मल-मूत्र के रूप में धरती को वापस लौटा देने से उत्पादक-चक्र यथाक्रम चलता रहता है।

इंगलैंड के विचारशील लोगों ने 'सॉइल एसोसिएशन' नामक एक संस्था गठित की है। इस संस्था में अनेक कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं वैज्ञानिक भी हैं। संस्था के घोषणा पत्र में कहा गया है कि धरती का जो शोषण इन दिनों किया जा रहा है, उसका खतरा एटम बम के खतरे से भी बड़ा है।

हरित-क्रांति को विकासशील देशों में प्राणाधार ही माना गया है। यह है भी सत्य, किंतु समय और विवेक की माँग है कि तसवीर के दूसरे पहलू को भी भुलाया न जाए। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना जरूरी है। धरती पर अत्याचार किया जाता रहा तो यही हरित-क्रांति एक दुःस्वप्न होकर रह जाएगी। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों के प्रयोग का क्रम यदि नियंत्रित न किया गया तो धरती बाँझ होती जाएगी और हमारे पोषण के आधार समाप्त होते जाएँगे। अन्नोत्पादन के लिए अपने देश में उत्साह बना रहना ही नहीं बढ़ाना भी आवश्यक है। इसके लिए रासायनिक खाद जैसे उपायों को अपनाते समय उनके गुण और दोष दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादन तो बढ़ा-चढ़ा रहना चाहिए पर उसके साथ दूरदर्शिता को भी सँजोए रहना आवश्यक है। प्रसन्नता की बात है कि इस दशा में विचारशील वर्ग का ध्यान आकर्षित हुआ है और खाद-संतुलन बनाए रहने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक सोच-विचार किया जा रहा है।

अपने देश में प्रतिवर्ष लाखों टन गोबर उपले बनाकर जलाने में नष्ट होता है। गोबर गैस संयंत्रों के प्रयोग से इस गोबर का उपयोग ईंधन-गैस तथा खाद दोनों रूपों में सरलता से किया जा सकता है।

इससे धरती के उत्पादन-चक्र को गतिशील बनाए रखने की व्यवस्था भी बनी रह सकती है और विदेशी मुद्रा की बचत का लाभ तो है ही।

सर्वविदित है कि अन्न उत्पादन के लिए सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है। पानी के अभाव में कृषि का विकास कैसे हो सकता है? मात्र वर्षा से ही काम नहीं चल सकता। उसके लिए कुएँ, नहर आदि का प्रबंध होना ही चाहिए, पर इस दिशा में भी खाद की तरह ही सतर्कता बरती जानी चाहिए। अति तो अमृत की भी हानिकारक होती है। पानी भी यदि अधिक मात्रा में मिलेगा तो उससे उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटने की विभीषिका सामने आकर खड़ी होगी।

प्रसन्नता की बात है कि गत कुछ वर्षों में देश का सिंचाई क्षेत्र प्राय: दुगुना हो गया है। इस दिशा में अभी और कई गुनी वृद्धि होनी चाहिए थी, पर सतर्कता इस दिशा में भी बरती जानी चाहिए कि कहीं अति को स्थान तो नहीं मिल रहा है। भूमि को अधिक मात्रा में जल मिलने से उसकी मिट्टी में लवणीय भार उभर आता है। जल स्तर ऊँचा उठ आने से भूमि गीली रहने लगती है और उसकी उर्वरता को आघात पहुँचता है।

जिस प्रकार भूमि में खाद और पानी का संतुलित उपयोग आवश्यक है उसी प्रकार की सुव्यवस्था आहार-विहार के क्रिया-कलाप में भी बनी रहनी चाहिए। अतिवाद चाहे उपयोगी दिशा में ही क्यों न अपनाया गया हो, आरंभ में थोड़ा लाभ देकर अंतत: हानिकारक ही सिद्ध होता है।

❐

खाद्यान्न संकट का हल कठिन नहीं

कृषि प्रधान देश भारत का खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न हो पाना चिंता और विचार का विषय है। पिछली बार खाद्यान्नों की कमी क्यों पड़ी है? इसके मूल कारण कृषि उत्पादन की कमी पर विचार किया था। यदि उत्पादन बढ़ता है तो किसी वर्ष प्राकृतिक कारणों से पड़ने वाले सूखे का मुकाबला करने में आसानी रहती है।

अकाल की स्थिति में सामयिक उपाय के रूप में किसान शाक-सब्जी व कंद-मूल उगाकर भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। राजस्थान के एक गाँव की बात है–वहाँ अति वर्षा के कारण मक्का की फसल एक चौथाई ही हुई। पाँच महीने के पहले गेहूँ की फसल आने वाली नहीं थी। ऐसी स्थिति में गाँव के मुखिया को एक उपाय सूझा उसने किसानों को आधे बीघे में मेथी बो देने की सलाह दी और उनकी क्यारियों की मेड़ों पर मूलियाँ। एक महीने में मेथी की भरपूर सब्जी उतरने लगी। पहले जहाँ एक आदमी तीन रोटियाँ खाता था अब वह उसके स्थान पर एक ही रोटी खाता व उस कमी को मेथी का साग खाकर पूरा करता। डेढ़ महीने में मूलियाँ भी तैयार हो गईं। उन्होंने भी खाद्यान्न की कमी पूरी की। इस तरह मेथी कटती और फिर बढ़ती और फिर बढ़ती रही तथा ग्रामवासियों ने अन्नसंकट की समस्या को हल कर लिया।

यदि किसान को इस दायित्व का भान कराया जा सके कि देश के करोड़ों देशवासियों के लिए अन्न ही नहीं उपजाना है, अन्नसंकट की स्थिति में खाद्यान्न की कमी भी पूरी करना है तो वह संकट के समय में बहुत काम कर सकता है। उसके लिए पहले किसान की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारना बहुत आवश्यक है।

किसान के बाद नंबर आता है उपभोक्ताओं का जिनमें भी अस्सी प्रतिशत कृषक परिवार ही हैं। भोजन के संबंध में हमारी कुछ आदतें हैं जो देश के अन्नोपभोग को प्रभावित करती हैं। मोटेतौर पर आहार

को दो भागों में बाँटा जा सकता है–(१) पुष्टिकारक (२) सुरक्षात्मक। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों को पचास प्रतिशत पुष्टिकारक और पचास प्रतिशत सुरक्षात्मक आहार लेना जरूरी होता है। जो सामान्य शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें साठ प्रतिशत सुरक्षात्मक और चालीस प्रतिशत पुष्टिकारक भोजन लेना चाहिए। अन्न, दालें, दूध, घी आदि पुष्टिकारक में गिने जाते हैं, शाक-सब्जियाँ, फल आदि सुरक्षात्मक में। देखने में यह आता है कि हम लोग अन्न ही अधिक खाते हैं, कोई सत्तर-अस्सी प्रतिशत। विदेशी इस बात के लिए हम पर व्यंग्य भी करते हैं। अन्न अधिक खाने की प्रवृत्ति हमारी अन्न की आवश्यकता को बढ़ाती है। अधिकांश गाँवों में जहाँ मजे से सब्जियाँ उगाई-खाई जा सकती हैं वहाँ बरसात के अलावा सब्जियों के दर्शन होना कठिन होता है। सामान्य किसान दाल और रोटी खाता है, जो दोनों ही अन्न हैं। अपनी आवश्यकता भर अन्न व दाल अपने भंडार में रखने के बाद ही वह अन्न बाहर निकालता है। अन्न ही अन्न खाने से पेट खराब होने का खतरा तो रहता ही है, अपितु देश में खाद्यान्नों की कमी भी पैदा होती है।

खाने की इस आदत में सुधार किया जा सके तो उसमें वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा कि अन्न के उत्पादन को पचास प्रतिशत बढ़ा देने से मिलता है। विशेषकर गाँवों में तो शाक उगाने का आंदोलन चलाना ही चाहिए। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के समय ऐसी काम की बातों की जानकारी कराए जाने के प्रयास सरकार और पढ़े-लिखों द्वारा चलाए जाने चाहिए। नगरों, कसबों में रहने वाले लोगों को भी अपने घर के बाहर पड़ी जमीन में, छत पर टिन, गमलों आदि में शाक-सब्जियाँ उगानी चाहिए। यह घरेलू शाक-वाटिका घर-परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधारेगी। मानसिक उल्लास व शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाएगी, साथ ही राष्ट्र की एक समस्या में अपने ढंग का एक सहयोग भी बनाए रहेगी। देखने-सुनने में यह छोटी सी बात देश में हजारों एकड़ भूमि बढ़ाने जैसा ही काम करेगी।

जिस समय खाद्य संकट की यह स्थिति हो उस समय यदि घर-घर में अनिवार्य रूप से शाक-वाटिका लगाई जाए, इसे एक अभियान का रूप दिया जाए तो अन्न संकट की समस्या कुछ अंशों में सुलझ सकती है।

व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसी अविवेकपूर्ण मान्यताएँ लोगों के मन-मस्तिष्क में बैठी हुई हैं जो अन्न की खपत को बढ़ाती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदमी भूखा रहने से नहीं मरता है बजाय ठूँस-ठूँसकर जरूरत से ज्यादा खाकर पेट खराब करने, बीमार पड़ने से। स्वाद को महत्त्व न देकर तत्त्वों को महत्त्व दिया जाए, ठूँस-ठूँसकर नहीं चबा-चबाकर खाया जाए, बिना कड़ी भूख लगे नहीं खाया जाए, तभी जो अन्न खाया जाता है उसका परिणाम होता है नहीं तो यह अन्न को मल बनाने की बेगार भर बन जाती है। विवाह, मृत्यु-भोज, श्राद्ध, पर्व-त्योहार, उत्सव, पार्टियों, दावतों आदि में जो अन्न की दुर्गति कहीं-कहीं देखने को मिलती है उसे देखकर रोना आ जाता है। भोजों पर प्रतिबंध लगा देने पर भी लोग भोज करने से बाज नहीं आते। ऐसे अवसर पर अतिथि लोग जूठा छोड़ना और आयोजक दुराग्रहपूर्वक उन्हें खिलाना अपनी शान समझते हैं और अन्न की कमी को बढ़ाते हैं। इससे उनकी अपनी आर्थिक हानि तो होती ही है, देश में अन्न संकट भी उत्पन्न होता है। एक तरफ तो अन्न को देवता कहना और दूसरी तरफ उसका यह निरादर करना कितना मूर्खतापूर्ण है।

रोटियाँ बनाते समय अधिकांश गृहिणियाँ आटे को छानकर चोकर यों ही फेंक देती हैं, उसमें कुल आटे का कम से कम आठवाँ भाग वजन और एक चौथाई आवश्यक तत्त्व होते हैं। इस तरह वे आठ किलो आटे के स्थान पर सात किलो आटा ही काम में ले पाती हैं। यह अन्न का कितना बड़ा विनाश है? आवश्यकता इस बात की है कि इन भ्रांत मान्यताओं को मिटाकर अन्न के एक-एक दाने का सदुपयोग किया जाए।

भोजन में शाक-सब्जियों की मात्रा आधे से अधिक रखने से ही हमारे शरीर के सभी आवश्यक तत्त्वों की पूर्ति होती है। केवल अन्न ही अन्न खाने से शरीर को पूरी तरह पोषण नहीं मिल पाता, साथ ही पेट भी खराब होता है, कब्ज रहने लगता है, जो कि सब विकारों की जड़ है। प्रायः आधे से अधिक बीमारियों को लगने व पनपने का कारण यह कब्ज ही होता है। अतः आवश्यकता से अधिक मात्रा में पुष्टिकारक भोजन न करने की आदत डाली जानी चाहिए। उपभोक्ता यदि अपनी इन प्रवृत्तियों को सुधार लें तो अन्न की बचत होगी, वह उत्पादन वृद्धि का सा लाभ देगी। हमारे धर्म ग्रंथों में अन्न को देवता व उपवास को पुण्य इसीलिए माना गया है कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अन्न उपयोग में लेकर बीमार न पड़े और न ही उसे व्यर्थ में नष्ट करे। स्व. प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष १९६५-६६ के अन्न संकट के समय सोमवार के दिन एक समय उपवास रखने की बात कही थी। वे स्वयं भी उसका पालन करते थे। वह बात बहुत व्यावहारिक व महत्त्वपूर्ण है।

सूखे आदि प्राकृतिक कारण से जिस वर्ष अन्न संकट की समस्या हो उसके पहले ही उपभोक्ता लोग सचेत हो जाएँ। सचेत होने का अर्थ यही है कि अपनी पारिवारिक आवश्यकता जितना अन्न संग्रह करके रख लें और अन्न की स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग अधिक करने लगें। जैसे आलू में भी अन्न की तरह स्टार्च होता है, केले में भी होता है। केले का आटा भी बन जाता है। आलू सस्ते हों उस समय उनकी चिप्स बनाकर रखी जा सकती है। आलू का उत्पादन भी अन्न की अपेक्षा अधिक होता है। घरेलू शाक-वाटिकाओं की योजना चलाई जा सकती है। आलू भी इन वाटिकाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ ऐसे अन्न हैं जिनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में है किंतु हमें उनकी जानकारी नहीं है। अतः हम उनका उपयोग नहीं करते जबकि उनका प्रयोग करने से हमारे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की कमी पूरी हो सकती है। सोयाबीन एक ऐसा ही खाद्यान्न है जिसे हमें उस रूप में मान्यता देनी ही चाहिए।

अन्न संकट वास्तव में उतना होता नहीं, जितना संकट उत्पन्न कर दिया जाता है। उसे हौवा बनाकर किसान समझता है कि अन्न कम पैदा हुआ है, भाव चढ़ने पर बेचकर पैसा कमाना चाहिए। व्यापारी चाहता है कि दो सौ बोरी अनाज दबाकर रख लें सालभर का खरच निकल आएगा। उपभोक्ता सोचता है जाने अनाज मिले न मिले खरीदकर रख लो। इस प्रकार की आशंका रात्रि के अंधकार में रस्सी को साँप बना देने की तरह अन्न की थोड़ी सी कमी को भयंकर अन्न संकट बना देती है। यह सब इस कारण होता है कि हम अपनी ही सोचते हैं, देश व समाज की नहीं। जबकि जमाना व्यक्तिवाद का कभी रहा ही नहीं।

किसान और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी है–व्यापारी वर्ग। आज के युग में व्यक्ति के सिर पर स्वार्थ का भूत कुछ अधिक ही सवार हो गया है। अपरिग्रह की वृत्ति लुप्त होती जा रही है। इस बात का ज्वलंत उदाहरण व्यापारी वर्ग है। इस वर्ग से सरकार ने गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया तो गेहूँ भी डेढ़ गुना दामों में बिका, ज्वार का भी यही हाल रहा। इसका कारण व्यापारियों का अधिक लाभ कमाने की वृत्ति ही रही है, जिसके कारण वे खाद्यान्नों को दबा जाते हैं और भाव चढ़ने पर बेचते हैं।

व्यापारी वर्ग ने यदि उचित मुनाफा कमाने की नीति अपनाई होती तो सरकार भी गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की बात नहीं सोचती। जनता भी उसके इस कदम का स्वागत नहीं करती। सरकार सफल हुई या नहीं यह बात दूसरी है। किंतु सरकारी कारण की पृष्ठभूमि व्यापारियों की संग्रह-वृत्ति से ही बनी है। ठीक बात है कि दो पैसे कमाने के लिए हर आदमी धंधा करता है। उसके औचित्य की एक सीमा भी तो होनी चाहिए। आज हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसके पीछे और कारणों के साथ ही व्यापारी वर्ग की संग्रह का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक लाभ कमाने की गलत नीति भी कम जिम्मेदार नहीं।

वर्ष १९६५-६६ के अन्न संकट में सरकार ने व्यापार अपने हाथों में नहीं लिया था फिर भी गेहूँ का भाव २०० रुपये से लेकर ३०० रुपये हो गया। आज उसी अनुपात में जितना मुद्रा प्रसार हुआ है उसे देखते हुए यह भाव कितना अधिक हो गया है? इस बात का अनुमान सहज ही लग जाता है। खरीददार तो अपने बच्चों का पेट भरता है। इसलिए वह तो किसी कीमत पर भी अन्न खरीदना चाहेगा। ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति आदर्शवादी बना रह सके, यह शक्ति अभी हमारे उपभोक्ताओं में नहीं आई है। किंतु जिन लोगों के पास उस कीमत पर खरीदने की आर्थिक सामर्थ्य नहीं है वह क्या करेगा? जिसे ये लोग व्यापार मानते हैं क्या यह प्रकारांतर में पाप नहीं है।

अन्न छिपाने वाले अधिकांश बड़े व्यापारी होते हैं। छोटे व्यापारी भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं और फिर यह होता है कि कोई व्यक्ति गेहूँ खरीदने आता है तो उसे सारे बाजार में गेहूँ के दर्शन नहीं होते। ग्राहक की इस विवशता का लाभ उठाने व दुगुने-तिगुने दाम में अन्न बेचने वाले व्यापारी अपने ही पाँवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उसी का परिणाम कड़े-कड़े कानून बनना है। छापे पड़ते व पकड़ा-धकड़ी होती है।

व्यापारी को व्यापारी ही रहना चाहिए, कसाई नहीं बनना चाहिए। मनुष्यता का तो यही तकाजा है। फिर भी उसे अनसुना किया गया तो बहुत संभव है कि जमाखोरी का सामाजिक अपराध करने वालों को गोली मारने का कानून न बन जाए।

संकट आदि समस्याएँ तो मनुष्य के और समाज के जीवन में आती ही हैं। यदि किसान, उपभोक्ता और व्यापारी अन्न संकट से जूझने के लिए तैयार हो जाएँ, एक जुट हो जाएँ तो यह संकट की घड़ियाँ हँसते-खेलते पार हो जाएँ।

❐

अन्नदेवता का अपमान न किया जाए

डॉक्टरों का कहना है कि लोग सामान्यत: दो कारणों से बीमार पड़ते हैं। एक तो पर्याप्त पौष्टिक अनाज न मिलने के कारण और दूसरे आवश्यकता से अधिक खाने पर व्यक्ति एलर्जी का शिकार हो जाता है। जिसका अर्थ है शरीर में शक्ति इतनी मात्रा में बढ़ रही है कि सँभाले नहीं सँभल रही है। बीमारी के कारणों को छोड़कर यों भी देखा जाए तो हमारे देश में अनेकों व्यक्तियों को पेट भरना भी मुश्किल पड़ रहा है तथा दूसरी ओर कई लोगों को जिगर, तिल्ली तथा बदहजमी का शिकार होना पड़ रहा है। स्पष्ट ही इन बीमारियों का मूल कारण है अति भोजन।

आवश्यकता से अधिक भोजन दो तरह से हानिकारक है। एक तो इस प्रकार हम जरूरतमंद लोगों का जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, उनके मुँह का कौर छीनते हैं। अन्न बरबाद करते हैं क्योंकि यदि जरूरत से ज्यादा हम खाएँगे तो वह किसी न किसी तरह तो निकलेगा ही और इस प्रकार हम रोगों को भी अलग से आमंत्रित कर रहे होते हैं। इस प्रकार अन्न की बरबादी और औषधियों की माँग, रोग की विभीषिका जैसी दोहरी समस्या हम अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अन्न का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना आरंभ करें।

अन्न का अभाव हमारे लिए काफी समय से एक चिंतनीय राष्ट्रीय समस्या रही है। बरसों तक हमें लाखों टन अनाज विदेशों से मँगाना पड़ा। अब यह समस्या सुलझ गई है और प्रचुर मात्रा में हमारे देश में अन्न का उत्पादन किया जाने लगा है। ऐसी बात नहीं है कि कभी कमी न पड़ती हो, अभी भी जब कहीं कम बारिश होती है और कहीं जरूरत से ज्यादा पानी गिर जाता है तो अनाज की कमी पड़ जाती है तथा सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस स्थिति के जरा भी नाजुक होने पर चिंताजनक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। उसके लिए यह मानना ही पड़ेगा कि अन्न का अपव्यय राष्ट्रीय अपराध है और यह भी कि इस आपराधिक कृत्य को किसी मूल्य पर बढ़ने नहीं देना चाहिए।

इस संबंध में हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि अन्न का अपव्यय किस प्रकार होता है? सामान्यत: लोग भूख से अधिक खाकर ज्यादा अन्न बरबाद करते हैं। भरपेट भोजन करने का अर्थ है कि खाना खा लेने के बाद न आलस्य आए और न सुस्ती सताए। इस कसौटी द्वारा हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हम भूख से ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सा अन्न बच्चे लोग भी बिगाड़ देते हैं। बालकों द्वारा अति भोजन भी अन्न की बरबादी का एक स्रोत है। इसे दूर कर दिया जाए तो बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी स्वत: दूर हो जाती हैं।

बच्चे ही अन्न की बरबादी करते हों ऐसा नहीं है। चूँकि वे तो बहुत थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं इसलिए उनके द्वारा होने वाली अन्न की बरबादी कम ही कही जानी चाहिए। लेकिन अधिक उम्र के लोग कुछ गलत धारणाओं के कारण गलत-सलत ढंग से खाते रहते हैं सो उनके द्वारा ही अन्न का अपव्यय अधिक होता है। उस अपव्यय के द्वारा स्वास्थ्य को असाधारण क्षति पहुँचती है, वह अलग है। उदाहरण के लिए यह समझा जाता है कि जो अधिक खाता है वह अधिक स्वस्थ रहता है। थाली में जूठन छोड़ना भी कम हानिकारक आदत नहीं है-यह धारणा भी इसी में शामिल की जा सकती है। प्राय: लोग उदर-पोषण की अपेक्षा जीभ की स्वादपूर्ति के लिए अधिक खाते हैं और इसीलिए थाली के भोजन को अधिकाधिक सुस्वादु बनाने की चेष्टा की जाती है तथा चटनी, अचार और पापड़ आदि स्वादिष्ट वस्तुओं से थाली को सजाया जाता है। स्वाद-स्वाद में यह भूल जाना स्वाभाविक है कि अब और अधिक खाने की आवश्यकता नहीं रही और हम सुस्वादु भोजन को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह निष्कर्ष निकल चुका है कि अधिक भोजन कई गंभीर रोगों का जनक है। अपच और सुस्ती, आलस जैसी शिकायतें उत्पन्न होना तो आम बात है। उसके कारण रक्तचाप और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य संकट तक उठ खड़े होते हैं। शास्त्रकारों ने भी इसी प्रकार अति भोजन का निषेध किया है। मनुस्मृति में इस प्रसंग का एक श्लोक आता है–

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनाम्।
अपुण्यं लोक विद्विष्टम् तस्मात्तत् परिवर्जयेत्॥

अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के विनाश का कारण, आयु को नष्ट करने वाला, स्वर्ग का विरोधी, पुण्य नष्ट करने वाला तथा अपयश का कारण है। अतः उससे बचते हुए मितभोजी बनना चाहिए। इसके विपरीत जो केवल आवश्यकता के अनुसार ही खाते हैं अल्पभोजी-मिताहारी हैं वे दीर्घायु होने के साथ-साथ संयमी और निरोगी भी बन जाते हैं।

भोजन को पचाने में निश्चित रूप से हमारी शक्ति खरच होती है। हालांकि भोजन किया ही इसलिए जाता है कि उससे हमारी जीवनीशक्ति सुरक्षित रहे और बढ़े, पर जब वह शक्ति अधिक खरच होती है और उससे सीमित मात्रा में ही हमें शक्ति मिले जो खरच हुई जीवनशक्ति की तुलना में कम हो तो यह जीवनीशक्ति का अपव्यय ही हुआ। इसके परिणाम निस्संदेह आयु के कम होने तथा तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने के रूप में सामने आते हैं। व्यक्तिगत हानि, क्षति के अतिरिक्त भोजन अन्न की बरबादी जैसा राष्ट्रीय स्तर का अवांछनीय कृत्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है।

इसके लिए हमें खान-पान की आदतों में यथासंभव सुधार करना चाहिए तथा उन आदतों को बदलना चाहिए जिनसे कि हमारी स्वास्थ्य क्षति से लेकर अन्न संकट जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए थाली में जूठन छोड़ने की आदत को निंदनीय आदत समझा जाए। जूठन छोड़ने की मजबूरी तब उत्पन्न हो जाती है, जब हम सुस्वादु होने के कारण खाना या भोज्य पदार्थ तो रखवा लेते हैं पर

पेट भर जाने के कारण बाद में उसे खा नहीं पाते। हालांकि कोशिश यह की जाती है कि ठूँस-ठूँसकर जितना हो सके खाया जाए, पर जब पेट ही चीत्कार करने लगता है तो और कोई चारा नहीं रहता, सिवाय जूठन छोड़ने के। इसका एक कारण परोसने वालों की असावधानी भी कहा जा सकता है। भोजन पकाने वाली स्त्रियाँ भी बहुधा जरूरत से ज्यादा खाना बना लेती हैं और बच रहने की स्थिति में उसे खाने वालों को आग्रहपूर्वक खिलाती हैं।

पार्टियों, दावतों, ब्याह, शादियों और ब्रह्मभोजों में भी अन्न की बरबादी देखने को मिलती है। अपने देश में भोज और दावतों के नाम पर इतने अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मेजबान की चीं ही बोल जाती है। इस प्रकार अन्न की बरबादी अक्षम्य अपराध है। घर में तो लोग फिर भी यह सोचकर जूठन नहीं छोड़ते कि अन्न का अपव्यय होगा, पर बाहर दावत-भोजों में यह सोचने की जरा भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। एक व्यक्ति के पीछे यदि ५० ग्राम जूठन भी छोड़ी जाए तो १००० लोगों की दावत में अन्न की बरबादी ५० किलो हो जाती है। एक अरब आबादी वाले इस देश में कम से कम साल भर में दस हजार दावत-पार्टियाँ तो होती होंगी और इसमें इतने ही अन्न की बरबादी होती हो तो ५ हजार क्विंटल अन्न केवल जूठन ही जूठन में बरबाद हो जाता है।

अंत में यह मानना ही पड़ेगा कि विदेशी पर्यवेक्षकों का यह मत पूर्णतया सही है कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन कम होता हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वस्तुत: हम अनाज का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं और इस कारण स्वयं रोगी, दीन, दुर्बल होने के साथ एक राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न करने का भी कारण प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने वाली अविवेकपूर्ण आदतों को बदला जाए तो कितना अच्छा हो?

❐

भूलोक की प्रत्यक्ष कामधेनु—गाय

गाय के संबंध में किसी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है–"गुणविहीन ब्राह्मणों की भाँति गाय आज भी पूजा प्राप्त कर रही है।" इस कथन से यह स्वर निकलता है कि गुणरहित ब्राह्मणों की तरह गाय भी अनुपयोगी और गुणरहित हो गई है। लेखक की दृष्टि में संभवत: आज के विकसित कृषि उपकरण और महँगी तकनीक रही होगी। इस तरह के विचार आधुनिकताभिमानी व्यक्तियों द्वारा प्राय: व्यक्त किए जाते हैं। जबकि अधिकांश भारतीय किसानों के लिए धरती की छाती खोदकर अनाज पैदा करने में गाय ही एकमात्र सहयोगी रह गई है। गाय से जन्मे बैल ही उसके हल को आगे खींचते और जुताई को आगे बढ़ाते हैं।

धार्मिक दृष्टि से भारत में चक्की-चूल्हे को भी दैवी वरदान की श्रेणी में माना गया है और उनकी पूजा का विधान है। गाय उनसे भी अधिक धार्मिक महत्त्व का घरेलू प्राणी है। सहयोग देने वाले प्रत्येक प्राणी ही नहीं, निर्जीव वस्तु के प्रति भी आधार की दृष्टि रखना और उसे पूजनीय मानना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। गाय की आर्थिक उपयोगिता को लेकर प्राचीनकाल में उसे पूजनीय दैवी सत्ता माना गया। भावनात्मक ऊँचाइयों की दृष्टि से यह उचित ही नहीं आवश्यक भी था। आज भी करोड़ों भारतीय धर्मानुयायी गाय को आर्थिक से ज्यादा धार्मिक महत्त्व के कारण वंदनीय मानते हैं। धार्मिक आयोजनों और कर्मकांडों में आज भी गाय से प्राप्त होने वाले पंचगव्य दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोबर का उपयोग किया जाता है।

तत्त्ववेत्ताओं ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि मनुष्य का शरीर बंदर से विकसित हुआ है और आत्मा मानवीय देह में आने से पूर्व यदि किसी पशु शरीर में निवास करती है तो वह गाय ही है। बात विश्वसनीय भी है, क्योंकि मनुष्य के आदर्श स्वभाव की झाँकी किसी

जानवर में मिलती है तो वह गाय में ही दिखाई देती है। यह जरा भी संदेहास्पद नहीं लगता कि मनुष्य शरीर में आने से पहले उसकी आत्मा गाय के शरीर में ही निवास करती हो।

यह तो हुई गाय के संबंध में धार्मिक दृष्टि, पर कृषि के लिए वैज्ञानिक साधनों का आत्यंतिक विकास हो जाने के बावजूद भी हमारे देश में गाय का आर्थिक महत्त्व आज भी कम नहीं हुआ है। यदि उसके दूध और उससे तैयार होने वाले दही तथा घी को ही लें तो पौष्टिक वस्तुओं की तुलना में भी इक्कीस ही बैठेंगे। अपने अमृतोपम गुणों के कारण गौ दुग्ध विश्व के कई वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना चुका है।

गाय के दूध को आहारशास्त्रियों ने संपूर्ण आहार माना है और पाया है कि यदि मनुष्य केवल गाय के दूध का ही सेवन करता रहे तो उसका शरीर और जीवन न केवल सुचारु रूप से चलता रहेगा वरन वह अन्य लोगों की अपेक्षा सशक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता से संपन्न हो जाएगा।

पौष्टिक तत्त्वों के संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी वस्तु में कोई जीवनतत्त्व कम होता है तो दूसरा जीवनतत्त्व अधिक। वैज्ञानिक इसी कारण बहुत सी चीजों को एक साथ खाने की सिफारिश करते हैं, पर गाय का दूध अकेला सभी जीवनतत्त्व संतुलित रूप में उपलब्ध कराता है। न कोई कम और न कोई अधिक। स्मरणीय है कि जीवनतत्त्व कम हो तो भी स्वास्थ्य का ढाँचा लड़खड़ा जाता है और अधिक हो तो भी मनुष्य एलर्जी, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है।

शरीर में लगभग दो-तिहाई भाग जल का है शेष एक-तिहाई ही ठोस तत्त्व है। गाय के दूध में भी जल का यही अनुपात है और उसमें सब आवश्यक तत्त्व घुले रहते हैं। भैंस, बकरी और भेड़ के दूध में चिकनाई की मात्रा अधिक होती है इसलिए वे जल्दी पच नहीं पाते,

जबकि गाय के दूध में चिकनाई उतनी ही होती है जितनी कि शरीर के लिए आवश्यक है।

अपने अमृतोपम गुणों के कारण गौ-दुग्ध विश्व भर में भोजन के प्रमुख अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। गौ पालन का महत्त्व दिन पर दिन बढ़ रहा है। भैंस तो कई देशों में देखने को भी नहीं मिलती। कई पाश्चात्य देशों ने तो गौ पालन को ही अपनी अर्थव्यवस्था का आधार मान लिया है।

आयुर्वेद में गौ-दुग्ध को रसायन माना गया है। इस रसायन के नियमित सेवन से बल की वृद्धि, शरीर की पुष्टि होती है तथा वृद्धावस्था शीघ्र नहीं आती। यह कफ, पित्त, वातजनित दोषों का शमन करता है। बल तथा ओज बढ़ाने, मस्तिष्क तथा ज्ञान-तंतुओं को पोषण देने में गौ-दुग्ध अनुपम है। बल, बुद्धि तथा वीर्य की यह वृद्धि ही मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य का आधार है।

गौ-दुग्ध को आहारशास्त्रियों ने संपूर्ण भोजन माना है। मनुष्य केवल दूध लेकर स्वस्थ रह सकता है। मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्त्व इसमें होते हैं। इसमें प्रोटीन ०.९४, स्निग्धता १.०९, आश्वेत सार १.६, उष्णांक १.८, चारों जीवन तत्त्व विटामिन १.२५ प्रतिशत होते हैं।

इन तत्त्वों की कमी से स्वास्थ्य का ढाँचा लड़खड़ा जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन उत्तम कोटि का होता है जो शरीर के विकास तथा टूट-फूट के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रोटीनों में गौ-दुग्ध का अनन्यतम स्थान है। खनिज लवणों के अभाव में दाँतों तथा अस्थियों को उचित पोषण नहीं मिल पाता। विटामिन्स मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तथा उसे ठीक प्रकार से चलाने में सहायक बनते हैं। मनुष्य को जितनी शर्करा तथा स्निग्धता (चिकनाई) चाहिए, वह सभी गौ-दुग्ध में पर्याप्त मात्रा में होती है। पाचक रस इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं।

हमारे शरीर में सर्वाधिक अंश जल का है। हमारे निर्माण में दो तिहाई जल प्रयुक्त हुआ है। यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि द्रव रूप में ग्रहण किए गए पदार्थों को इसका पाचक यंत्र शीघ्रता से पचा लेता है तथा शोषक संस्थान सहज ही उसे शोषित कर लेते हैं। दुग्ध में भी ९५ प्रतिशत जल होता है। उसमें सब तत्त्व घुले रहते हैं। यदि दूध में स्निग्धता (चिकनाई) अधिक है तो ये पच नहीं पाते। गाय के दूध में चिकनाई कम होने से यह सहज ही पच जाते हैं।

अन्न ठोस होते हैं। उन्हें दाँतों से खूब चबाने पर भी वे बिलकुल रस नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कि आमाशय को अधिक श्रम करना पड़ता है। पाचनसंस्थान काफी श्रम करके भी अन्न के सब अंशों को ठीक तरह नहीं पचा पाते, न शोषक अंग उनका शोषण ही कर पाते हैं। गौ-दुग्ध में यह बात नहीं होती। केवल गाय के दूध पर कई दिनों रहकर कल्प चिकित्सा द्वारा नया जीवन भी पा सकते हैं।

यह आहार मात्र नहीं है। गौ-दुग्ध प्रकृतिदत्त रसायन (टॉनिक) है जो दुर्बल तथा रोगियों को नवजीवन प्रदान करता है। प्रसव के पूर्व माँ के पेट में जब बालक का निर्माण होता है, उस समय उसके शरीर तथा संस्कारों की वृद्धि के लिए गर्भिणी को गौ-दुग्ध दिया जाए तो संतान तथा उसके स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। प्रसव के पश्चात स्तनपान काल में भी माँ को गौ-दुग्ध सेवन कराया जाए तो स्तनपान कराने के कारण उसके शरीर में जिन तत्त्वों की कमी होती जाती है उनकी पूर्ति ठीक तरह हो जाती है।

रोगी तथा दुर्बल व्यक्तियों को नवजीवन प्रदान करने में गौ-दुग्ध की कोई सानी नहीं रखता। रक्ताल्पता, संग्रहणी, पांडु रोग, शरीर प्रदाह, रक्त, पित्त तथा क्षय आदि रोगों में औषधि के साथ-साथ पथ्य के रूप में गौ-दुग्ध का सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। ऐसा कई आयुर्वेद के ज्ञाताओं का विश्वास है। इसके नियमित सेवन से शरीर में

विजातीय द्रव्य अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होता तथा रोगों का आक्रमण होने पर भी शरीर की रक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ होने से वे असर नहीं कर पाते।

आजकल उचित आहार नहीं मिलने, अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने तथा शारीरिक श्रम कम करने का कुपरिणाम यह हो रहा है कि पुरुषों का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। महिलाओं की दशा तो और भी शोचनीय है। जब स्वयं महिलाएँ स्वस्थ नहीं होंगी तो बच्चों को क्या दूध पिला सकेंगी? ऐसी स्थिति में कई बच्चों को बाहर का दूध देना पड़ता है। बच्चों को माँ के अतिरिक्त केवल गाय का दूध ही दिया जा सकता है। वह बालक के लिए माँ के दूध की तरह ही गुणकारी होने से उसके स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। गौ-दुग्ध में क्षार अधिक होते हैं तथा पाचक रसों का पर्याप्त समावेश होता है। बालक का कोमल पाचन तंत्र उसे सरलता से पचा लेता है। माँ के दूध की तरह पोषक दूध देने के कारण ही उसे गौमाता माना गया है।

कुछ व्यक्ति गाय के दूध को भैंस के दूध से घटिया मानते हैं। उनकी यह मान्यता अवैज्ञानिक है। भैंस के दूध में स्निग्धता (चिकनाई) अधिक होती है तथा वह गाढ़ा होता है। इन्हीं कारणों से उसे गौ-दुग्ध से अच्छा मान लेना भूल है। हमारे शरीर के लिए बहुत कम स्निग्धता चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी अधिकतम मात्रा ५० ग्राम हो सकती है वैसे इतनी भी आवश्यक नहीं होती। इससे अधिक स्निग्धता का उपयोग रोगों का कारण बनता है। भैंस का दूध इस अधिक स्निग्धता के कारण दुष्पाच्य होता है। इसे कठोर श्रम करने वाला ही पचा सकता है। सामान्य श्रम करने वाले व्यक्ति, स्त्रियों, बालकों, वृद्धों तथा कमजोर व्यक्तियों को यह पोषण के स्थान पर हानि करता है।

विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों ने गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना है तथा उसी का परिणाम है कि अमेरिका जैसे देश में गौ-दुग्ध सुलभ है तथा प्रत्येक व्यक्ति उसका उपभोग करता है। इस अमृत के

अधिकतम उत्पादन में उन्होंने विज्ञान की सेवाएँ लेकर गौवंश की निरंतर प्रगति करते हुए अधिकतम लाभ उठाया है।

अन्न में जिस प्रकार स्थान विशेष पर उत्पन्न होने से उसमें स्वास्थ्य बढ़ाने-घटाने के तत्त्व घट-बढ़ जाते हैं। भूमि तथा उपार्जन-कर्त्ता के गुण व संस्कार उसमें आ जाते हैं। उसी प्रकार दूध में भी पशुओं के अपने गुण तथा संस्कार आ जाते हैं तदनुरूप ही उपभोग-कर्त्ता के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से भी गाय का दूध भैंस के दूध से श्रेष्ठ सिद्ध होता है।

भैंस शरीर से जैसी मोटी होती है उसकी बुद्धि भी वैसी ही मोटी होती है। भैंस सुस्त, आलसी व मंदबुद्धि होती है। रास्ते में बालक हो या कुछ और उससे बचने-बचाने की कोशिश करने जितनी उसमें बुद्धि नहीं होती। उसका दूध पीने वाला बच्चा भी वैसा ही होता है।

गाय संवेदनशील, कर्मठ तथा चाक-चौबंद होती है। छोटी सी मक्खी शरीर पर बैठ जाए तो सारी त्वचा को हिलाकर उड़ा देती है। शरीर से पुष्ट, आकर्षक तथा सुडौल होती है। उसका दूध पीने वाला बछड़ा हिरन की तरह सुंदर तथा चंचल होता है। उसका कुलांचे भरना देखते ही बनता है।

गाय के दूध के संस्कार उसके बछड़े पर तथा भैंस के दूध के संस्कार उसके बच्चे पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। गौ-दुग्ध शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। भैंस का दूध शरीर को मोटा भले ही बना दे, बुद्धि को भी मोटी बनाता है। उसे पीने वाले व्यक्ति का भैंस के बछड़े की तरह सुस्त, आलसी तथा मंदबुद्धि हो जाना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार माँ के संस्कार उसके दूध पीने वाले बालक में आते हैं, ठीक वैसी ही बात इन दोनों के साथ भी होती है। यही प्रकृति का नियम है।

हमारे पूर्वज गौ पालन धर्म समझते थे। गृहस्थ के घर तथा संन्यासी की कुटिया का द्वार गौ के बिना शोभाहीन लगता था। गौ माता

का धारोष्ण दूध ही उनकी चमत्कारिक, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक प्रगति का रहस्य था। इसी कारण गौ पालन को धार्मिक रूप दिया गया था।

संसार के समस्त देशों में गाय की महत्ता उसके दूध के कारण है। गाय के दूध में जो भी अमृतोपम गुण हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण तो अब से कुछ दिनों पूर्व ही किया गया है। किंतु वैदिक युग तथा महाभारतकाल में भी भारत में गाय और गौवंश की महत्ता और विशेषताओं का समुचित ज्ञान था। इसके लिए ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर गौवंश की रक्षा और गौ-दुग्ध की विशेषताओं का वर्णन मिलता है। गाय के दूध, घृत, गोबर और मूत्र का उपयोग औषधियों तथा यज्ञों के विधि-विधान में भी बताया जाता रहा है। इसलिए गौ की महत्ता से भारतीय धर्मशास्त्र ओत-प्रोत है। गाय को देवोपम पूज्य मानकर उसकी पूजा और रक्षा तथा संवर्द्धन किया जाता है। महाभारतकार ने गौ-स्तुति करते हुए लिखा है-

गावः श्रेष्ठा परित्राश्च पावना जगदुत्तमाः।
ऋते दधि घृताभ्या च नेह यज्ञः प्रवर्त्तते॥
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते।
मातरः सर्वभूतानां गावः स सर्व सुखप्रदाः॥

गाएँ सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, पूजनीय और संसार भर में उत्तम हैं। इनके घी, दूध, दही और गव्य के बिना संसार में यज्ञ संपन्न नहीं होते। गौ में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। गौ जहाँ रहती है, वहाँ पाप निवास नहीं करते। ये प्राणिमात्र को सुख-संपदा से विभूषित करती रहती हैं।

संसार भर के समुन्नत और प्रगतिशील कहे जाने वाले देशों में महाभारत के उपर्युक्त कथन को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। अमेरिका, रूस, डेनमार्क अथवा स्विट्जरलैंड-कोई भी प्रगतिशील देश हो, सभी गाय का समुचित पालन-पोषण करते हैं। अमृतोपम दूध,

घी, मक्खन से भरपूर लाभ उठाते हैं। वहाँ न लक्ष्मी का अभाव है और न बल पौरुष की कमी।

गाय के दूध के सर्वोत्तम होने की बात संसार भर में एक मत से स्वीकार की जाती है। महर्षि सुश्रुत के शब्दों में, ''गाय का दूध पवित्र, स्नायुवर्द्धक, शक्ति और ओज तथा शुक्राणु संवर्द्धक है। इसमें रोग निवारण की अद्‌भुत शक्ति है। यह सर्वांगपूर्ण आहार है।'' पाश्चात्य जगत के आहार विशेषज्ञ शेरमैन भी यही दावा करते हैं, ''गाय का दूध सर्वोत्तम और पूर्ण आहार है। इसमें वे सभी शक्तिवर्द्धक तत्त्व विद्यमान हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं।'' उन्होंने इसका प्रयोग भी अलग-अलग चूहों पर करके देखा। पाँच सप्ताह तक एक चूहे को मात्र गौ-दूध और दूसरे को अन्न पर रखा गया। दूध आहारी का वजन पाँच सप्ताह में अन्न आहार खाने वाले से दूना हो गया, जबकि अन्न आहारी सुस्त पड़ा रहता और दूध आहार करने वाला और चुस्त हो गया। इसी प्रकार के विचार ब्रनियर ने व्यक्त किए हैं, ''संसार की सुदृढ़ और बहादुर जातियों का सर्वोत्तम आहार दूध ही रहा है। दूध से दीर्घ आयु और निरोगता प्राप्त की जा सकती है, जबकि अन्नाहारी अपेक्षाकृत सुस्त, ठस और मंदबुद्धि भी होते हैं।'' पाश्चात्य जगत के जितने भी इतिहासकार रहे हैं, वे एकमत से स्वीकार करते हैं कि भारत में बसी जाति संसार भर की सर्वश्रेष्ठ, वीर और साहसी जाति थी। जिसका मुख्य धंधा पशुपालन, मुख्य आहार गौ-दुग्ध था। वे गौ-दुग्ध पीकर सौ वर्ष तक जीवित बने रहते थे। गौ-दुग्ध के संबंध में धन्वंतरि, निघंटु, सुर्वादि वर्ग में कहा गया है-

पथ्य रसायन बल्येहृद्यं मेध्यं गवां पयः।
आयुष्यं पुस्त्वं कृद्धात रक्तपित्तविकारनुत॥ १६४॥

गौ-दुग्ध समस्त रोगों की अवस्था में पथ्य सेवन के लिए रसायन, बलकारक, हृदय दौर्बल्य में लाभकारी बुद्धि, आयु, वीर्यवर्द्धक, वात, रक्त, पित्तनाशक है। गौ-दुग्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब

रोगी को सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के सेवन की मनाही कर दी जाती है, तब भी चिकित्सक उसे गौ-दुग्ध सेवन का सत्परामर्श देकर स्वास्थ्य लाभ कराते हैं।

चरक संहिता के अनुसार भी गौ-दुग्ध मधुर, मृदु, बहल, श्लक्ष्ण पच्जिल, गुरु, मंद, प्रसन्न दस गुणों वाला है। ओज के भी यही दस लक्षण हैं। सुश्रुत संहिता में गौ-दुग्ध को मल शोधक, चिकना, वीर्योत्पादक, बल, आयु, प्राण संवर्द्धक, अस्थि संद्य को सुदृढ़, सुनियोजित रखने वाला उत्तम रसायन बताया है। जो वात-पित्त विकारों का भी शमन करता है। इसके सेवन से जीर्ण-ज्वर, भ्रम मूर्च्छा, थकावट, तृष्णा, दाह, गुल्म, अफरा, रक्त-पित्त, अतिसार, उदर रोग, शूल, बवासीर और व्रण जैसे भयंकर रोग दूर हो जाते हैं।

दूध की उत्कृष्टता चिकनाई के भाग से मापने की भारी भ्रांति भारतीय जनमानस में घर कर गई है और इसी भुलावे में आकर गौ के स्थान पर भैंस पालन का प्रचलन आरंभ हो गया है। जिससे भारत की आर्थिक दशा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चिकनाई को ही लिया जाए, तब तो दूध की अपेक्षा मूँगफली, तिल, सरसों आदि में भी पर्याप्त चिकनाई हो जाती है। किंतु गाय के दूध से प्राप्त चिकनाई इस प्रकार संतुलित है कि मनुष्य शरीर को अनुकूल और पाचन क्रिया में सहायक तथा शारीरिक कल-पुरजों के लिए उत्तम स्निग्धता और संबल प्रदान करती है।

दूध का महत्त्व चिकनाई से न होकर खनिज-लवणों से है जिनकी मात्रा और उपयुक्तता, श्रेष्ठता के आधार पर वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गौ दूध से उत्तम खनिज और लवण किसी अन्य के दूध में उपलब्ध नहीं होते। गाय के दूध में २१ प्रकार के एमिनोएसिड, ११ प्रकार के फैटीएसिड, ६ प्रकार के विटामिन, ८ प्रकार के किण्व, २५ धातुजतत्त्व, २ प्रकार की सुगर, ४ प्रकार के फास्फोरस यौगिक, १९ प्रकार के नाइट्रोजन तत्त्व उपलब्ध हैं। गाय के दूध में मुख्य

एंजाइम इस प्रकार पाए जाते हैं–पेरिक्सिडेज, रिडक्टेड, लाइपेज, प्रोटिएज लैक्टेज, फास्फेटेज, ओलिनेज, गैटालेज। दूध में पाए जाने वाले खनिज जैसे–कैल्सियम, फास्फोरस, लोहा, ताँबा, आयोडीन, फ्लोरीन, सिलीकॉन आदि मुख्य हैं।

गाय के दूध में विटामिन ए१ कैरोटिन डी. ई–टोकोफेराल, विटामिन बी.१, थियामीन बी.२, रिवोफ्लेविन बी.३, बी. ४ तथा विटामिन सी (एसकॉर्बिक एसिड) के रूप में पाए जाते हैं। भारत में दूध को स्वास्थ्यवर्द्धक तो माना जाता है किंतु किस प्रकार लेने और उपयोग करने से वह स्वास्थ्यवर्द्धक है–इसकी जानकारी जनसाधारण को नहीं है। स्वास्थ्य के लिए प्रवाही अर्थात तरल मात्रा में दूध का सेवन हितकर है। जिसके लेने से कैल्सियम ७६.३ प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध होता है। जबकि घी, खोया, दही और क्रीम में परिवर्तित करके उपयोग करने में मात्र १ प्रतिशत कैलशियम मिल पाता है। अपने देश में तरल दूध की खपत ३६.२ प्रतिशत, घी में परिवर्तन करके ४३.३, दही में ४.१ प्रतिशत और मावा में ९.१ प्रतिशत और मक्खन और क्रीम में ६.९ प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है।

गाय के दूध की अनेकों विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि जहाँ अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन कठिनाई से हजम होती है, वहाँ गाय के दूध से प्राप्त ९७ प्रतिशत प्रोटीन भाग पाचनसंस्थान पचा लेता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शरीर में उत्पन्न होने वाला यूरिक एसिड जो मूत्र में जलन, दाह और बदबू उत्पन्न करता है, गाय के दूध से अधिक मात्रा में नहीं बन पाता और शमन होता रहता है। गाय के दूध में ही यह विशेषता पाई गई है कि इसमें रेडियोधर्मिता का प्रभाव नहीं होता। अन्य पशुओं के दूध में इसका प्रभाव प्रयोगों से सिद्ध हुआ। गाय के १ पौंड दूध में इतनी शक्ति होती है जितनी कि ४ अंडों और २५० ग्राम मांस से प्राप्त नहीं होती। विकसित देशों में पशुओं की संख्या का अनुपात प्रति सौ मनुष्यों के पीछे न्यूजीलैंड में २८१, अर्जेंटाइना

२५९, आस्ट्रेलिया १९१, डेनमार्क ८६ और भारत में मात्र ५० है इसीलिए भारत में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक खपत औसत जहाँ ८ औंस है, वहाँ ब्रिटेन में ४०, अमेरिका में ४५, स्वीडन में ६१, न्यूजीलैंड में ५६ ओंस आता है।

भारत का आर्थिक ढाँचा ही पशुपालन और गौ-वंश पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ की मुख्य आजीविका का स्रोत कृषि व्यवसाय और मुख्य माध्यम बैल है जो गाय से प्राप्त होते हैं। भारत की छोटी-छोटी जोतों के लिए बैल से बढ़कर और कोई उपयुक्त साधन नहीं है। यह ऐसा सस्ता ट्रेक्टर है जो जुताई के साथ खाद भी उपलब्ध कराता है और बहुमुखी उपयोग में लाया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त सभी लाभों, विशेषताओं और उपयोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुए अन्य विकसित देशों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर तक पहुँचने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि गौ-वंश संवर्द्धन हेतु विशेष अभियान-प्रयास चलाए जाने चाहिए, तभी राष्ट्र के स्वास्थ्य और आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है।

❐

हरीतिमा संवर्द्धन में सबका योगदान हो

दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने के संबंध में भी व्यक्ति और समाज को दूरगामी परिणामों का ध्यान रखने वाली सूझ-बूझ का परिचय देना पड़ता है। इसमें जब जहाँ जितनी भूल होती है, तब वहाँ उसी अनुपात में संकटों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि बुद्धिमानों ने संयम बरतने, धैर्य रखने, विवेक अपनाने और गतिविधियों का निर्धारण करते समय भावी परिणामों को भी ध्यान में रखने की नसीहत दी है। उतावली, उस प्रक्रिया को अपनाने में अड़चन उत्पन्न करती है। तात्कालिक लाभ का मोह कई बार इतना आतुर होता है कि पिछड़े प्राणियों की तत्काल लाभ-बुद्धि भी पीछे छूट जाती है। पिछड़ों पर प्रकृति का अनुशासन काम करता है। फलतः वे अधिक गड़बड़ी भी नहीं करते और अधिक त्रास भी नहीं सहते। किंतु मनुष्य प्रकृति बंधनों को तोड़ने में अपनी प्रवीणता पर दिनोदिन अधिक अहंकारी होता चला जा रहा है। फलतः सृष्टि संतुलन की अदृश्य प्रेरणा और भावी परिणामों की परिकल्पना की उपेक्षा होती रहती है। यही कारण है कि आएदिन अनेकानेक समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की यह आतुरता न जाने कब तक चलती रहेगी और बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य को मूर्ख सिद्ध करती रहेगी।

उदाहरण के लिए वृक्षों के संबंध में बरती जाने वाली उपेक्षा और निष्ठुरता को ही लिया जा सकता है। यह अनुभव बहुत कम लोग करते हैं कि वनस्पतिजगत और प्राणिजगत एक-दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। समझा तो अन्न-जल को जीवनाधार जाता है, पर वस्तुतः शरीर यात्रा का प्रमुख माध्यम प्राणवायु है। हवा में ऑक्सीजन का जो अंश पाया जाता है उसी से शरीर यात्रा संभव होती है। मनुष्य साँस से

प्राणवायु खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस ग्रहण-विसर्जन में वनस्पतिजगत और प्राणिजगत परस्पर सहभागी हैं। प्राणी कार्बन छोड़ता है, उसे पेड़ खाते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसे प्राणी खाते हैं। इस प्रकार दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के सहारे सर्वोपरि आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्राणियों का आहार वनस्पति है। वनस्पति को पोषण देने के लिए मल-मूत्र और उत्पन्न किए गए कूड़े-कचरे को प्रमुख माध्यम माना गया है। दोनों का तालमेल जितना सही रहेगा, उतनी ही यह धरती 'शस्य श्यामला' रहेगी और प्राणि जगत के निर्वाह में कमी न पड़ेगी। पर यदि इस आदान-प्रदान का संतुलन बिगड़ा तो न केवल आहार संकट खड़ा होगा, वरन और भी अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी।

मनुष्य का कर्त्तव्य है कि उसका निजी जीवन जिस वनस्पति जगत पर निर्भर है, उसके अस्तित्त्व को समुचित परिमाण में बनाए रखने के उत्तरदायित्व को समझे। उपेक्षा बरतने एवं अतिक्रमण करने में उसी का अहित है। यह अहित स्थूल दृष्टि की पकड़ में न आता हो, तत्काल दुष्परिणाम दृष्टिगोचर न होता हो तो दूरदर्शिता का तकाजा है कि तनिक अधिक सूझ-बूझ से काम लिया जाए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज की रीति-नीति का नए सिरे से पर्यवेक्षण किया जाए। समझा जाना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य का निर्वाह एकाकी नहीं हो सकता है। उसे पशुजगत के साथ ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा कि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे से लाभान्वित हों और सुखी समुन्नत स्थिति में अपना निर्वाहक्रम चलाते रहें।

इस संदर्भ में इन दिनों मनुष्य द्वारा वनस्पतिजगत के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वह उपेक्षा मात्र न रहकर अनौचित्य और अत्याचार की सीमा में जा पहुँचता है। फलतः उसके दुष्परिणाम भी हाथोहाथ सामने आ रहे हैं। इन दिनों पेड़ों की कटाई बुरी तरह हो रही है। वनक्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। जलावन, फर्नीचर आदि के लिए लकड़ी पर बढ़ती निर्भरता के दूसरे विकल्प ढूँढ़े जाने चाहिए। जितनी

लकड़ी कटे, उतने ही वृक्ष लगें, तब संतुलन बैठे। हो यह रहा है कि भूमि को वृक्षों से छीना भर जा रहा है। ऐसा संतुलन नहीं बन रहा है कि जो लिया गया है उसे वापस भी किया जाता रहे। वृक्ष-संपदा को काटते रहने की गति तीव्र और लगाने में मंद रहे तो परिणाम स्पष्ट है। आमदनी कम और खरच अधिक होने पर दिवाला पिटने जैसी बात स्पष्ट है। वनस्पति का उपभोग अधिक है और उसे लगाने-बढ़ाने की दृष्टि से हाथ सिकोड़ा जाए तो उस घटोत्तरी की परिणति अंततः बहुत ही भयानक सिद्ध होगी। इतनी भयानक, जिससे उपर्युक्त सहअस्तित्त्व का संतुलन बिगड़ जाने पर ऐसी क्षति उठानी पड़े जिसके लिए पीछे पश्चात्ताप करते रहना भर हाथ रह जाए और उसकी पूर्ति समय निकल जाने पर फिर किसी भी प्रकार संभव न हो सके।

पेड़ कटते जाने, वन प्रदेश घटते जाने के अनेकों दुष्परिणाम हैं, जिन पर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। पेड़ न केवल मनुष्य द्वारा उत्सर्जित गंदगी को आत्मसात करते हैं वरन कल-कारखानों द्वारा छोड़े गए प्रदूषण की भी सफाई करते रहते हैं। वन प्रदेश को प्राणिजगत का फेफड़ा कहना चाहिए। यह सिकुड़ता चले तो फिर सफाई घटने पर विषाक्तता बढ़ेगी और विनाशकारी दुष्परिणाम खड़े होंगे।

भूमि क्षरण से उपजाऊ भूमि का घटना, कटी हुई मिट्टी का जलाशयों में भरकर उन्हें उथला बना देना, एक और अभिशाप है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली हानि को लकड़ी काटने से उपलब्ध हुए लाभ की तुलना में अनेक गुनी अत्यधिक कहा जा सकता है। समूचे वातावरण में बढ़ने वाली विषाक्तता जो जीवन संकट खड़ा करती है, आज उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। वन कटने पर पेड़ों की जड़ों द्वारा मिट्टी पकड़े रहने और वर्षा की नमी देर तक सुरक्षित रखे रहने का लाभ यदि हाथ से चला गया तो भयानक अन्न संकट और जल संकट खड़ा होगा। वायु संकट की बात तो स्पष्ट ही है। अत्युत्साह में वृक्षों को काटते जाना, वन प्रदेश घटाते जाने-लकड़ी मिलने, भूमि का अन्य उपयोग होने की दृष्टि से लाभदायक

प्रतीत भर होता है। दूरदर्शिता की कसौटी पर कसकर जब इसके भयावह परिणामों पर विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि यह प्रयास निश्चित रूप से अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने–जिस डाली पर बैठना उसी को काटने के समान है। अच्छा हो इस संदर्भ में तथ्यों की गहराई में घुसा जाए और प्रचलित ढर्रे में दूरदर्शितापूर्ण परिवर्तन किया जाए।

पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूभाग के ३३ प्रतिशत क्षेत्र में वृक्ष–वनस्पतियों का होना अनिवार्य है। कुछ दशकों पूर्व तक देश का ७० प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित था। कटते–कटते वह मात्र २२ प्रतिशत बचा है। अनिवार्य पर्यावरण संतुलन सीमा से वह ११ प्रतिशत कम है। संतुलन सीमा रेखा तक लाने के लिए देश के एक लाख सैंतीस हजार वर्गमील के क्षेत्र में वृक्ष लगाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में वनक्षेत्र दो लाख चौहत्तर हजार वर्गमील में फैले हुए हैं। जो लगभग ३८ खरब ७८ अरब ११ करोड़ २९ लाख ६० हजार वर्ग फीट के लगभग आता है। वर्ग फीटों में पेड़ों को गिना जाए तो भारत के २३ प्रतिशत भूभाग में फैले कुल वृक्षों की संख्या लगभग १९ अरब ३९ करोड़ ५० लाख ६४ हजार ८ सौ होगी। उनसे ५८ खरब ४७ अरब २ करोड़ ५८ हजार रुपये के बराबर विभिन्न परोक्ष लाभ प्राणवायु, उर्वरक क्षमता, वातावरण शोधन तथा वर्षा के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है जो भारत की छठी पंचवर्षीय योजना के कुल बजट से चार हजार गुना से अधिक है।

पर्यावरण संतुलन के लिए न्यूनतम एक लाख ३७ हजार वर्गमील क्षेत्र में वृक्ष लगाने होंगे। एक आँकड़े के अनुसार उस क्षेत्र में लगभग ९ अरब ६९ करोड़ ५२ लाख ८२ हजार वृक्ष लगाने की गुंजाइश है। देश की जनसंख्या लगभग ७० करोड़ तक जा पहुँची है। एक व्यक्ति पीछे लगभग १४ वृक्ष आते हैं अर्थात प्रत्येक १४ वृक्ष लगाए, तब कहीं जाकर ३३ प्रतिशत अनिवार्य वृक्ष–संपदा का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

वृक्ष संपदा के घटने से अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो रही हैं। बढ़ते विषाक्त धुएँ के कारण कुछ पशु-पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तथा कुछ प्रकार के पशु-पक्षियों की जातियाँ नष्ट होती जा रही हैं। वातावरण की विषाक्तता के कारण कुछ प्रकार के पशु-पक्षियों को स्थान परिवर्तन करते पाया जा रहा है।

विषाक्त धुएँ से फसलों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरसों, अरहर आदि संवेदनशील फसलें इस धुएँ के कारण नष्ट हो जाती हैं। कैलीफोर्निया से मिली सूचना के अनुसार धुएँ के कुहरे के कारण १५ मिलियन डालर्स (एक करोड़ ५० लाख रुपये) की फसलों को नुकसान पहुँचता है। इसकी अप्रत्यक्ष क्षति तो १३२ मिलियन डालर्स आँकी गई है।

दिन-प्रतिदिन बढ़ते कल-कारखानों और नए-नए प्रकार के उद्योग-धंधों से पृथ्वी का वातावरण दूषित हो रहा है। आज रेलगाड़ियों, मोटर-कारों, भट्ठियों और चिमनियों से इतना धुआँ निकल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन को खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन (एन. ओ. ए. ए.) ने सर्वे कर स्पष्ट किया है कि पिछली एक शताब्दी में ४ लाख टन से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में समा गई है। यही नहीं आज भी प्रतिवर्ष १२ हजार टन से भी अधिक कार्बन कल-कारखानों की चिमनियों और इंजनों से निकलता है।

न्यू मैक्सिको के खेल और मछली विभाग के निर्देशक ने यह जानकारी दी है कि संसार का तापक्रम निरंतर बढ़ रहा है और मौसम संबंधी असंतुलन बढ़ता जा रहा है। प्रेस ट्रस्ट के अनुसार कनाडा ने यह आशंका व्यक्त की है कि अमेरिका द्वारा अपने उत्तर- पूर्वी राज्यों के लगभग ८० बिजलीघरों में तेल के स्थान पर कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर उसके प्रदेश में दूषित वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। इस ईंधन परिवर्तन से नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी तथा जल से मिल जाने पर तेजाब बनेगा, जिससे

कनाडा के दक्षिण पूर्वी भाग में दूषित वर्षा होगी। अमेरिका ने इस दूषण को रोकने का कोई तरीका भी नहीं अपनाया।

कनाडा पर्यावरण सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि वहाँ की वर्षा में तेजाब पाया जाता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि कनाडा की वर्षा में तेजाब की मात्रा कम न हुई तो वहाँ की झीलों में मछलियाँ व पौधे समाप्त हो जाएँगे। कनाडा और अमेरिका के विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इस प्रदूषण को रोकने के आधार निकाल लिए जाएँगे। किंतु ईंधन परिवर्तन के पूर्व ही इसका अन्वेषण किया जाना था।

कारखानों और मनुष्य द्वारा उत्पन्न गंदगी का दौर जिस प्रकार संसार भर में तेजी से बढ़ रहा है, उस घुड़दौड़ में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। घने शहर बसते और बढ़ते जा रहे हैं। अधिक विषैले और अधिक मात्रा में धुआँ छोड़ने वाले कारखानों में कमी-कटौती नहीं वरन अभिवृद्धि ही हो रही है। इतने पर भी दोहरा दुर्भाग्य यह है कि प्रदूषण-परिशोधन के सबसे बड़े माध्यम वन प्रदेश में निरंतर कमी आ रही है और वृक्ष-संपदा क्रमशः घटती ही चली जा रही है। इस असंतुलन के दुष्परिणामों को भुगतने के लिए हम तैयार रहें अथवा प्रस्तुत नीति को बदलें, तभी काम चलेगा।

दूसरे प्रगतिशील देशों ने कड़ाई के साथ वन-संपदा को नष्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। जापान जैसे औद्योगिक राष्ट्र जहाँ कि ईंधन की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, में भी ६२ प्रतिशत क्षेत्रफल पेड़-पौधों से हरा-भरा है। वैकल्पिक अन्य साधनों द्वारा वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है। पर वृक्षों की कटाई न्यूनतम ही है। फिनलैंड में आज ६६ प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। रूस के ३४ प्रतिशत तथा अमेरिका के ३३ प्रतिशत भाग में वन है।

घरेलू और सामुदायिक कार्यों में ईंधन की पूर्ति, कृषि कार्यों में अच्छी खाद्य की उपलब्धि और मल-मूत्र आदि गंदी चीजों से बीमारियों की रोकथाम की दिशा में चीन ने अब तक अपने देश में ७० लाख बायोगैस प्लांट बनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विद्युतीकरण की दशा में भी देश में ८९,००० छोटे प्रकार के हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट लगाकर ६.३ मिलियन के. डब्लू. विद्युत उत्पन्न की है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने की दिशा में बड़ी कड़ाई बरती जा रही है। सब कारखानों को आदेश दिए गए हैं कि वह समय के अंदर 'डिवाईसेस' लगाएँ। आदेशों का पालन न करने पर अच्छा-खासा दंड भी देते हैं। शंघाई जैसे नए औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ प्रदूषण नहीं के बराबर रहे।

यही नहीं हवा, जल और ध्वनि को प्रदूषणों से बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रदूषणों को नियंत्रण में रखने के लिए २९० मोनीटियरिंग केंद्र खोले गए हैं, जहाँ ४४०० पुरुष कार्य करते हैं। यह जानकारी भारत से चीन गए एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिन पूर्व ही दी है।

बढ़ता हुआ प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल को क्रमशः अधिकाधिक गरम करता चला जा रहा है। वृक्ष-संपदा घट जाने से यह संकट और भी अधिक बढ़ा है। तापमान का बढ़ते जाना, रोमांचकारी प्रकृति-प्रकोपों की पूर्व सूचना है।

वाशिंगटन से प्राप्त सूचना के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि विगत ४० वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन के कारण ताप में वृद्धि का संकेत प्राप्त हो रहा है, जो मानव जीवन को दो पीढ़ियों तक बुरी तरह से प्रभावित कर सकेगा। इसका कारण-कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा बताया गया। साथ ही शहरी ताप प्रदूषण व ज्वालामुखी का फूटना भी इसके कारण हो सकते हैं।

डॉक्टर मेलविन 'कालविन कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय' में रसायनशास्त्र के व्याख्याता और नोबुल पुरस्कार १९६१ के विजेता ने कहा है कि चेतावनी का पहला संकेत प्राप्त हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है-हम लोगों के पास अब अधिक समय नहीं-साउथ पोलर आइस कैंप अब सम्मुख आने के लिए चल चुका है। समुद्री

जल का ऊपर उठता स्तर यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी तट को जलमग्न कर देगा, फ्लोरिडा और टोकियो को भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान यहाँ तक लगाया गया है कि अगले ५० वर्षों में संसार का वार्षिक तापक्रम ३.६ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। उष्ण तापमान की यह स्थिति ग्रीनलैंड की बरफ और अंटार्टिक के बरफ के मैदानों को गलाने के लिए काफी है। उष्णताप के कारण संसार के समुद्रों की सतह ६० मीटर ऊँची उठ सकती है और संसार के बंदरगाहों और समुद्री किनारों को ढँक सकती है।

न्यूयार्क राज्य विश्वविद्यालय के वातावरण शोध संस्थान के निर्देशक विन्सैर जे० चाफर का कहना है कि अधिक दूषित वायु घातक बीमारियों को जन्म देती है। विषैली हवा के कारण फेफड़े, गले व आँखों का रोग पैदा हो जाता है।

अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि पृथ्वी के विगत विदित इतिहास के अंतर्गत अब तक बीस हिमयुग आ चुके हैं। हिमयुग का तात्पर्य विश्व के एक बड़े भाग में कड़ाके की सरदी और हिम तथा भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में भारी सूखा होगा।

दस हजार से पंद्रह हजार के उष्ण युग के पश्चात हमारी धरती पुनः एक नए हिमयुग की ओर बढ़ती जा रही है। जीवन व वनस्पतियों में परिवर्तन इस तथ्य का प्रमाण है। अगला हिमयुग आने की भी संभावना है। इस संदर्भ में विश्व के वैज्ञानिक मौसम का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और निकट भविष्य में एक बड़े हिमयुग की संभावना बताते हुए कह रहे हैं कि यह आशंका अति निकट भविष्य में ही घटित हो सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि क्रांति के अंतर्गत खेती के लिए बहुत से वन काटकर जमीन तैयार की गई। कृषि के लिए इससे काफी जमीन निकल आई, परंतु सरकार और जनता के सामने एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। वहाँ की नदियों में विकराल बाढ़ें आने लगीं,

जिससे लाखों लोग बेघरबार हो गए और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट होने लगीं। लोग घरबार, संपत्ति, जायदाद छोड़कर भागने लगे।

सरकार ने बाढ़ों को रोकने के लिए यांत्रिक कार्य किया। इससे स्थिति में थोड़ा परिवर्तन तो हुआ परंतु उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। बाढ़ों की रोकथाम के लिए किए गए यांत्रिक प्रयत्नों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो अमेरिकी सरकार और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल इन्हीं प्रयत्नों से बाढ़ें नहीं रुकेंगी। इसके लिए वनस्पति-संवर्द्धन के कार्यक्रम को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

बात आश्चर्यजनक तो है परंतु है सत्य। जिस देश में वन जितने सघन और अधिक होंगे, वहाँ नदियाँ उतनी जल्दी नहीं उफनेंगी। भारत में भी ज्यों-ज्यों वन-संपदा नष्ट होती जा रही है, प्रतिवर्ष नदियों में आने वाली बाढ़ों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे करोड़ों रुपये की फसल और वन-संपत्ति बरबाद होती है। शासन ने इसीलिए बाढ़ें रोकने के लिए एक आयोग गठित किया है।

भारत में यद्यपि वर्ष भर में तीन मास ही वर्षा होती है जबकि संसार के बहुत से देशों में बारहों महीने पानी गिरता रहता है। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि तीन मास की मानसूनी वर्षा अधिक घनी होती है इसलिए नदियों में ज्यादा बाढ़ें आती हैं। परंतु यह कोई महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है। भारत ही नहीं कई देशों में मानसूनी वर्षा होती है फिर भी वहाँ की नदियाँ यहाँ की अपेक्षा कम विनाश करती हैं।

नष्ट होती जा रही वन-संपदा बाढ़ों की संख्या में अभिवृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण है। वर्षा की बूँदें जब घने जंगल में उगे वृक्षों पर गिरती हैं तो बहुत सा पानी वे पत्ते ही सोख लेते हैं और कुछ का वाष्पीकरण भी हो जाता है। अधिक वर्षा होने के कारण पानी की बूँदें जमीन पर गिरती हैं। इसी प्रकार जंगल की वनस्पतियाँ बादल से गिरते हुए पानी को ही सीधे-सीधे उपयोग में ले लेती हैं। पेड़-पौधों द्वारा वर्षा का अधिकांश पानी सोख लिया जाता है या वाष्पीकृत कर लिया

जाता है, जबकि खुले मैदान में वह पानी बह निकलता है। इस संबंध में कई स्थानों पर परीक्षण और प्रयोग किया गया तो पता चला कि लगातार पंद्रह घंटे बारिश हो और उसमें ६ इंच तक पानी गिरे तो सघन वन से एक भी बूँद पानी जमीन की सतह से नदी-नालों में नहीं बहेगा। जबकि यह लगातार वर्षा खुली जगह में होने पर बड़ी-बड़ी बाढ़ें ला सकती है।

सघन वनों में पानी के न बहने का एक दूसरा भी कारण है। सीधे जमीन पर गिरने वाले पानी की बूँदें जल्दी ही बह निकलती हैं, जबकि वृक्षों के पत्तों से होता हुआ गिरने वाला पानी जमीन पर अधिक देर ठहरता है। उससे भूमि को जल सोखने का भी अधिक समय मिलता है और पानी बहने की अपेक्षा जमीन में गहराई तक उतर जाता है। फलस्वरूप धरती की उर्वरा शक्ति और नमी भी अधिक स्थायी रहती है।

सीधे जमीन पर गिरकर बहने वाला पानी अपने साथ जमीन को काटता हुआ चलता है। इस पानी में मिट्टी के बारीक-बारीक कण मिल जाते हैं, जो नदियों में जाकर उन्हें उथला बना देते हैं, क्योंकि मटमैले पानी का घनत्व स्वच्छ पानी की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसलिए वह बहते समय मिट्टी को अधिक खरोंचता हुआ नदियों में जाता है और नदी की तलहटी में वह मिट्टी भरता जाता है। इस प्रकार हर साल नदी कम गहरी और उथली होती जाती है। उथली होती जा रही नदियों का पाट भी प्रतिवर्ष चौड़ा होता जाता है और चौड़े पाट तथा उथली नदियाँ अपनी दिशा बदलती हैं, जिसके कारण कई गाँव उजड़ जाते हैं।

इसके विपरीत वनों से छनकर निकलने वाला पानी काफी स्वच्छ रहता है। वह पत्तों से धीरे-धीरे कम वेग से जमीन पर गिरता है। भूमि पर उगे हुए घास-फूस में से धीरे-धीरे बाहर निकलता है। इस स्वच्छ पानी में नदी को और गहरा बनाने की शक्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ें रोकने के लिए यांत्रिक प्रयत्नों की अपेक्षा वनस्पति-

संवर्द्धन के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो भी पानी बरसे वह खुली भूमि पर न गिरकर किसी पेड़-पौधे पर गिरे और धीरे-धीरे भूमि पर आए। भूमि द्वारा जितना अधिक पानी सोखा जाएगा, उतना ही अधिक पानी शनैः शनैः स्रोतों द्वारा सालभर नदी में जाता रहेगा, इसके फलस्वरूप लोगों को वर्षा का पानी भी अधिक मिलेगा।

बाढ़ें रोकने में वनस्पति-संवर्द्धन का बड़ा उपयोगी महत्त्व है। इसका एक और भी महत्त्वपूर्ण लाभ है। वायु प्रदूषण की समस्या विश्व के लिए खतरे का कारण बन गई है। शहरों में धुआँ उगलती कारखानों की मशीनें, मोटर और रेलगाड़ियों ने वायुमंडल को इतना दूषित कर दिया है कि शुद्ध वायु तो पूरी पृथ्वी पर प्राप्त नहीं हो सकती। दूषित वायु में साँस लेने वाले मनुष्य और पशु-पक्षी भी स्वस्थ्य नीरोग किस प्रकार रह सकेंगे?

आज के युग में चिकित्सा साधनों का विकास हुआ है, वे सभी साधन होते हुए भी रोग और बीमारियाँ इतनी बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं कि पूर्ण स्वस्थ तो शायद ही कोई मिले। यद्यपि रोग और बीमारियों के अन्य कारण भी कम नहीं हैं। वायु जीव-जंतुओं के प्राणों का मुख्य आधार है। आहार और जल के बिना कोई भी कुछ समय तो जीवित रह सकता है परंतु वायु के बिना एक मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल पड़ जाएगा।

हवा का मिलना ही पर्याप्त नहीं है। इससे भी ज्यादा आवश्यक है शुद्ध वायु मिले। यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि वायुमंडल में व्याप्त प्राणवायु ही जीव-जंतुओं को जीवन देती है। इसके अभाव में हवा के दूसरे तत्त्व कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें उनके लिए अनुपयोगी ही नहीं खतरनाक भी हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्राणवायु कम होती जा रही है तथा और दूसरे तत्त्व बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या के लिए विकसित होते यांत्रिक साधनों और बढ़ते हुए उनके उपयोगों को तो उत्तरदायी ठहराया

जा सकता है परंतु नष्ट होती जा रही वन-संपदा इस समस्या को और भी कई गुना विकराल बना देती है।

यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो भी समस्या का हल नहीं होगा। मनुष्य और अन्य जीवों द्वारा छोड़ी गई साँस जिसमें अन्य अनुपयोगी तथा विषैली गैसें ही अधिक मात्रा में होती हैं-वे ही इतनी हो जाएँगी कि पृथ्वी पर जीना दूभर बन जाएगा। इस समस्या का एकमात्र हल भी वनस्पति-संवर्द्धन ही माना गया है।

वायुमंडल को शुद्ध करने में वनस्पतियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं। मनुष्य और पशु श्वास द्वारा जो गंदी वायु बाहर निकालते हैं उसे वृक्ष और पेड़-पौधे भी पी जाते हैं तथा उसे शुद्ध कर प्राणवायु के रूप में पुनः वायुमंडल में मिला देते हैं। यही नहीं यंत्रों तथा अन्य कारणों से उत्पन्न होते रहने वाले दूषित तत्त्वों को भी सोखकर वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। इसलिए आज की स्थिति में तो और भी अधिक आवश्यक है कि वनस्पति-संवर्द्धन के कार्यक्रमों को और अधिक महत्त्व दिया जाए। इसलिए हर किसी को वनस्पतियों के विकास, वृक्षारोपण, पेड़ काटने, जलाने, नष्ट करने की मूर्खता न करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए।

❐

यह पुनीत कार्य हर कोई कर सकता है

मनुष्य का अपना परिवार केवल स्त्री-बच्चों और माँ-बाप तक ही सीमित नहीं है। परिवार से यदि वह अर्थ लगाया जाए कि उसका प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से जुड़ा है, उनके हित अन्योन्याश्रित हैं और वे परस्पर एक-दूसरे से स्नेह-सहयोग करते हैं तो उसकी परिधि बड़ी हो जाती है। इस परिभाषा में पशु और वनस्पति भी परिवार की परिधि में आते हैं। वनस्पतियों का स्थान तो और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य अधिकांशत: इन पर निर्भर करता है।

इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्य का जीवन अन्न और शाक पर ही निर्भर करता है। साँस के विषैले भाग को शुद्ध करने प्राणवायु प्रदान करने से लेकर छाया, फल, लकड़ी आदि के अनेक प्रयोजन वृक्ष-वनस्पतियों से सिद्ध होते हैं। वनस्पतियों पर मनुष्य की आत्यंतिक निर्भरता को देखते हुए यह कहने और मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि वनस्पति यदि न हो तो मनुष्य का अस्तित्त्व ही नष्ट हो सकता है। हो सकना कहना भी स्थिति को कम करके आँकना है। सही बात तो यह है कि उसका अस्तित्त्व समाप्त होना निश्चित ही है। अस्तु, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का विकास, पालन-पोषण और संवर्द्धन करने की तरह वनस्पति-संवर्द्धन पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए।

बड़े वृक्षों की उपयोगिता अपने ढंग की है और छोटी वनस्पतियों का अपना महत्त्व है। बड़े वृक्ष जहाँ छाया, फल देते हैं, जलाऊ और इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, बादलों को आकर्षित कर उन्हें बरसने के लिए एक प्रकार से बाध्य करते हैं, बाढ़ों को रोकते हैं, जमीन का कटाव रोकते हैं। उनकी उपयोगिता महत्ता अपने ढंग की है, वहीं छोटी वनस्पतियों का अपना अलग ढंग का महत्त्व है। हथौड़े का महत्त्व है, उसके महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता पर सुई का

भी अपना महत्त्व है। वृक्ष अपना महत्त्व पूरा करते हैं और छोटी वनस्पतियाँ अपना अलग महत्त्व रखती हैं। वृक्षों के समान ही अनेक वनस्पतियाँ भी ऐसी होती हैं जो मानव जीवन के लिए वृक्षों से भी अधिक आवश्यक और उपयोगी हैं और उनका उत्पादन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी होता है। उदाहरण के लिए शाक-सब्जियों को ही लें। मनुष्य जीवन में उपयोगी सिद्ध होने वाली वनस्पतियों में इनका अपना स्थान है।

आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से केवल अन्न से ही पेट नहीं भरना चाहिए, वरन उनके साथ शाक भी रहना चाहिए। सूखे अनाजों में उतने जीवन तत्त्व नहीं होते जितने कि हरी शाक-सब्जियों में। शाक-सब्जियों में इतने अधिक जीवनतत्त्व होते हैं कि यदि अन्न न खाया जाए और केवल शाक-सब्जियों पर ही निर्भर रहा जाए तो स्वास्थ्य रक्षण होने के साथ-साथ अनाज की अपेक्षा अधिक पोषण होता है। रोटी-चावल के साथ पेट की सफाई, पाचनक्रिया की शुद्धि करने वाले पोषक तत्त्व न हों तो भोजन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसी प्रकार फल भी मनुष्य का स्वाभाविक और प्राकृतिक भोजन है। फल वृक्ष पर भी लगते हैं और बेलों पर भी। फल देने वाले वृक्ष लगाना हर किसी के लिए संभव न हो तो ऐसी बेलें लगाना तो हर किसी के लिए संभव है जो फल देती हैं। ऐसे फल सस्ते भी होते हैं और सामान्य आय वाले व्यक्ति भी इन बेलों को उगाकर, लगाकर सरलता से अपने आहार में रहने वाले पोषक तत्त्वों के अभाव को दूर कर सकते हैं।

वृक्ष पर लगने वाले फलों की आवश्यकता पूरी करने वाली कई बेलें घर-आँगन में आसानी से लगाई जा सकती हैं। इनमें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, सिंघाड़ा आदि प्रमुख हैं। रोटी के साथ पकाकर खाई जाने वाली कई सब्जियाँ भी इसी तरह उगाई जा सकती हैं। लौकी, तोरई, चचेड़ा, कद्दू, चुकंदर, परवल, शलजम आदि इसी वर्ग में आते हैं जो बेलों की तरह लगते हैं। आलू, अरबी, शकरकंद जैसे अन्न स्तर के हैं फिर भी उनका प्रचलन शाक की तरह होता है। टमाटर, केला,

पपीता, मकोय, आड़ू जैसे पौधे भी फलों का काम देते हैं। इनमें से कुछ को शाक के समान भी पकाया-खाया जाता है।

ये शाक फल सस्ते भी पड़ते हैं और घर में उगाए जाएँ तो बिना मूल्य ही प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग शाक-सब्जियों के स्थान पर दालों का प्रयोग ही ज्यादातर करते हैं। बेशक दालें स्वादिष्ट लगती हैं लेकिन उनमें शाक-सब्जियों जैसी पौष्टिकता नहीं होती। पोषक तत्त्वों की अधिकता पेट और रक्त को शुद्ध करने के गुणों के रूप में शाक-सब्जी स्वास्थ्य को लाभ तो पहुँचाती ही हैं आर्थिक लाभ अलग से प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि ये अन्न की अपेक्षा सस्ती पड़ती हैं और किसी स्थान में अन्न जितना पैदा होता है, शाक-सब्जियाँ उससे दस गुना पैदा होती हैं।

खेती के रूप में शाक-सब्जियाँ किस प्रकार उगाई जाएँ, यह कृषिशास्त्र का विषय है। यहाँ जन स्तर पर व्यक्तिगत रूप से घरों में शाक-सब्जियाँ उगाने का महत्त्व समझना चाहिए और इसके साथ ही घरों में शाकवाटिका का प्रयास अभियान स्तर पर करना चाहिए। घरों में शाकवाटिकाएँ लगाने की योजना, शाक-सब्जियों की खेती करने से कम नहीं, अधिक ही महत्त्वपूर्ण हैं। लकड़ी के बक्सों में, टोकरियों में, फूटे-घड़ों के पेंदों में, घर-आँगन में, छतों पर भी शाक-सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। जिनके पास घर के समीप थोड़ी-बहुत जमीन खाली पड़ी हो, वे उस खाली जमीन में आसानी से शाक-वाटिकाएँ लगा सकते हैं, पर जिनके पास स्थान न होने की समस्या है, वे उपर्युक्त उपायों में से कोई भी तरीका काम में ला सकते हैं।

बच्चों और महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए और तरीका बता दिया जाए तो वे इस घरेलू उद्योग को बड़ी सरलता से चला सकते हैं और घर में शाक-भाजियों की आवश्यकता को सहज ही पूरा कर सकते हैं। यह कार्य आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कई बार तो शाक-सब्जियाँ इतनी महँगी होती हैं कि उनके लिए काफी पैसा प्रतिदिन खरच करना पड़ता है। शाक-सब्जियाँ महँगी नहीं हों तो भी थोड़ा-बहुत खरच फिर भी करना ही पड़ता है।

इस स्थिति में घरेलू शाक-वाटिका से यह आवश्यकता पूरी की जाने लगे तो आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक ही है।

वनस्पति-संवर्द्धन के लिए शाक-वाटिकाएँ लगाना और शाक-भाजी उगाना ही पर्याप्त नहीं है। शाक-वाटिका के साथ-साथ फूलों के पौधे भी लगाए जाएँ तो वाटिका का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। फूल खिलते हैं तो लगता है, प्रकृति मुस्करा रही है। प्रकृति के यह नन्हे-मुन्ने बालक अपनी सरल मुस्कान से किसी भी भावुक हृदय की खिन्न और उदास मन:स्थिति को सहज ही गुदगुदा सकते हैं। फूलों की सुंदर, सुगंधित महकती सुवास न केवल हृदय को प्रफुल्लित करती है, वरन उत्कृष्ट प्राणवायु भी प्रदान करती है। उन्हें बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है, वह न किया जाए तो मेजों पर गुलदस्ते बनाकर रखना, पूजागृह में इष्टदेव को माला पहनाना, प्रियजनों को उपहार देना और घर में सुसज्जा बनाने का लाभ ही क्या कम है? इतना लाभ प्राप्त करने के लिए यदि घरों में, गमलों में, क्यारियों में आसानी से उग सकने वाले गुलाब-गेंदे जैसे फूल-पौधे उगाए जा सकें तो अपना मन प्रसन्न रखने के साथ चारों ओर सुरुचि संपन्नता और प्रफुल्लता का वातावरण सहज ही बनाया जा सकता है।

वनस्पति-संवर्द्धन के लिए शाक-वाटिकाएँ लगाने तथा फूल-पौधे उगाने का कार्य अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया जाए तो अवकाश के खाली समय का सदुपयोग तो हो ही सकता है, निरर्थक कामों और बातों में समय नष्ट न करने से कई व्यर्थ के झंझटों और उलझनों से भी बचा जा सकता है। वनस्पति-संवर्द्धन के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर किए जाने वाले इस तरह के प्रयासों में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं और न ही समय व धन का अतिरिक्त व्यय ही करना पड़ता है। इस रचनात्मक कार्य की आवश्यकता और उपयोगिता अपार है। इसे समझ और समझाया जाना चाहिए तथा स्वयं इस दिशा में प्रयास करने के साथ-साथ अपने निकटवर्ती जनों को भी इसके लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करना चाहिए।

❐

मुद्रक-युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ. प्र.)